प्रथम रिपोर्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू करना (1.11.2005 से 31.10.2006)

राज्य सूचना आयोग, हरियाणा।

एस०सी०ओ० नं० 70—71, 114—115 सेक्टर 8—सी, चण्डीगढ — 160 009

Website: www.cicharyana.gov.in

e-mail: ussichry@yahoo.co.in

madhavang@hry.nic.inz

विषय सूची

अध्याय	दिषय	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	1—2
2	आयोग का संविधान और आज्ञापत्र	3—5
3	आयोग के वार्षिक लेखे	6
; 4	जन प्राधिकारियों के द्वारा सूचना – प्रत्यावेदनों का निपटान	7—9
5	आयोग के द्वारा शिकायतों और अपीलों का निपटान	1011
. 6	नवम्बर, 2005 से अक्तूबर, 2006 तक सूचनाधिकार अधिनियम की कार्यवाही	1214
7	सूचनाधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी देना – आयोग के उपक्रम	15—18
8	राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की सिफारिश, भाग-I, राज्य सरकार से सम्बद्धं सिफारिशें भाग-II, लोक प्राधिकारियों के लिए सिफारिशें	1 9 —27
अनुबन्ध	Ī	
क	प्रपत्र	28
ख	लोक प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना	29—47
ग	मुख्य लोक प्राधिकरणों की सूची जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई	48—51
• घ	हिप्पा द्वारा आयोजित सूचना के अधिकार अधिनियम पर हुए केपेसिटी बिल्डिंग कार्यकमों / गोष्ठियों का ब्योरा	52
3	क्षेत्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाने हेतु समीक्षा – जिला स्तर पर ली गई समाएं	. 53
च	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में सम्पन्न हुई सभाओं / कार्यशालाओं का ब्योरा	54—55

सूचना का अधिकार : नागरिक आंदोलन से व्यवस्थापन तक

"स्नोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है।"

(प्रस्तावना, सूचनाधिकार, अधिनियम, 2005)

परिचय

सूचना की स्वतंत्रता सार्वभौमिक तौर पर स्वीकृत अधिकार है और बहुत से लोकतांत्रिक समाजों ने इस अधिकार को उनकी अपनी कानूनी व्यवस्था का हिस्सा बनाया है। इस अधिकार को दी गई महत्ता 1946 में प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपनाये गये निम्न प्रस्ताव से स्पष्ट है :--

"सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानवीय अधिकार और सभी स्वतंत्रताओं की कसौटी है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया है।"

भारत के संविधान के अध्याय—III की धारा 19 इसके सभी नागरिकों को, अन्य बातों के साथ ही, बोलने और विचार प्रकट करने के मौलिक अधिकार की गारंटी भी देती है । सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया है जो कि संविधान की धारा 19 (1) (a) से निःसृत है। वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय ने बार—बार नागरिकों के सूचना के अधिकार के पक्ष में निर्णय दिया है।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रमुख उद्देश्य देश में प्रत्येक लोकप्राधिकारी की कारगुजारी में पारदर्शिता और जवाबदेयता को बढ़ावा देना है। यह अधिनियम लोकप्राधिकारियों के द्वारा उन के नियंत्रण में रखी गई सूचना पाने के लिए वैधानिक संस्थागत ढांचे की आज्ञा देता है ताकि प्रत्येक नागरिक के सूचना के अधिकार को व्यावहारिक रूप दिया जा सके। यह नागरिकों के लिए विशेष सूचना का खुलासा करने के लिए इंगित करता है और सभी लोकप्राधिकरणों में नागरिकों के अनुरोधों को निपटाने के लिए जनसूचना अधिकारियों को नियुक्त करता है।

्यह लोक सूचना अधिकारियों के निर्णयों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारियों को अपील के लिए अधिकृत करता है। यह केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के संविधान के तहत शिकायतों की जांच करने, पुनर्याचिकायें सुनने और अधिनियम को लागू करने में चौकसी बरतने का आदेश भी देता है।

आयोग का संविधान और आज्ञापत्र

15 जून, 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम को भारतवर्ष के महामिहम राष्ट्रपित द्वारा अनुमोदित किया गया और 21 जून, 2005 को भारतवर्ष के राजकीय गजट में विज्ञापित कर दिया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारतवर्ष समाहित है। यह संसद या राज्य विधान—परिषद् के एक अधिनियम द्वारा प्रस्थापित या गठित, अथवा संबंधित सरकार के आदेश या अधिसूचना से, सभी संवैधानिक प्राधिकरणों और निकायों पर लागू है। यह प्रत्यक्ष या परोक्ष सप से स्वीकृत, नियंत्रित या वस्तुतः वित्त—प्राप्त निकायों पर भी लागू होता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने 31 अक्तूबर, 2005 को राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और निर्दिष्ट कर्त्तव्यों के निर्वहण के लिए राज्य सूचना आयोग, हरियाणा का गठन किया और श्री जी० माधवन, भा० प्र० से० (सेवानिवृत्त) को राज्य सूचना आयोग, हरियाणा के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया। उन्होंने एक नवंबर, 2005 को शपथ ली और इसी दिन से राज्य सूचना आयोग अस्तित्व में आया। तत्पश्चात् दिनांक 5—5—2006 की अधिसूचना के द्वारा श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी, भा० प्र० से० (सेवानिवृत्त) को नवगठित राज्य सूचना आयोग, हरियाणा का राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने 9 मई, 2006 को शपथ ग्रहण की।

अधिनियम की धारा—27 राज्य सरकार को राजकीय गजट में अधिसूचना जारी करने के उपरांत, अधिनियम के प्रावधानों को संचालित करने के लिए शक्तियां प्रदान करती है। ये नियम सूचना पाने के आधेदन का प्रारूप, प्रभावी शुल्क और प्रभारों तथा उनकी अदायगी के ढंग एवं अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में व्यवस्था करते हैं। शुरूआत में मूलतः शुल्क अदायगी की केवल दो विधियाँ, नामतः नकद या ट्रेजरी चालान से थीं। तथापि आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई, 2006 के द्वारा फीस की अदायगी, "डिमाण्ड ड्राफ्ट", या "भारतीय पोस्टल आर्डर" के माध्यम से करने की अनुमित भी दे दी है।

मार्च, 2006 को अनुपूरक अनुमानों के तौर पर आयोग को बजट उपलब्ध करवाया गया जिस पर मार्च, 2006 के अंतिम सप्ताह में विधानसभा द्वारा मतदान करवाया गया था। जैसा प्रायः नव गठित निकायों के लिए उचित कार्यालय तलाश करने, स्टाफ की भर्ती, बजट तैयार करने और ढांचागत साज—सज्जा में होता है, कुछ समय लगा। राज्य के लोक—निर्माण और वास्तुकला विभागों की सहायता से सेक्टर 8—सी, चण्डीगढ़ के किराये पर लिए गए शो—क्तमों में कार्यालय स्थापित करने में दो—एक महीने लगे। इस प्रकार जून, 2006 के मध्य से एस० सी० ओ० नं० 70—71, सेक्टर 8—सी, चण्डीगढ़ में आयोग पूर्णतः कार्य करने लग गया।

आयोग का यह प्रयास रहा है कि सूचना के अधिकार की पद्धित, जैसी कि उक्त अधिनियम की प्रस्तावना में निहित है, पूरी तरह लागू हो जाए ताकि नागरिकों को जन—प्राधिकारियों के नियंत्रण में रखी सूचना पाने की पहुंच के योग्य बनाया जा सके और इस प्रकार प्रत्येक जन—प्राधिकारी की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके। आयोग ने स्वयं को भी पूर्णतः पहुंच योग्य बनाया है और शिकायतों तथा अपीलों को स्वीकार करने में बहुत उदारता दिखाई है। आयोग की कार्यवाही को पारदर्शी बनाने और यह पक्का करने के लिए कि राज्य में आर० टी० आई० एक्ट, 2005 के क्रियान्वयन के बारे में नागरिकों को पूर्ण और सही सूचना मिलेगी, निम्न कदम उठाए गए हैं :—

- 1. नवंबर, 2006 से आयोग ने इसकी अपनी वेबसाइट "cicharyana.gov.in" चालू की है। इस वेबसाइट की मदद से नागरिक अपने मामलों की स्थिति, इस बारे में जारी किये गए अंतिम आदेशों सिहत जान सकते हैं। सामान्यतः सुनवाई की समाप्ति पर आदेश घोषित कर दिये जाते हैं और औपचारिक रूप से अगले दो—तीन दिनों तक संबंधितों को भेज दिये जाते हैं। इसके साथ ही, वेबसाइट पर भी लोड कर दिये जाते हैं। नागरिक सुनवाई 'की तिथि, "बेंच" जिसके समक्ष सुनवाई होनी है, पार्टियों के नाम आदि बटन दबाकर जान सकते हैं।
- 2. वेबसाइट कमीशन के सदस्यों के बारे में "बायोडेटा" सूचना भी प्रदान करती है। इस पर समय—समय पर सरकार/आयोग द्वारा जारी किये गए परिपत्रों/निर्देशों, अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विभिन्न जन—प्राधिकरणों के राज्य सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण भी उपलब्ध होता है।
- 3. वेबसाइट पर आयोग के सदस्यों द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों और अन्य जन-वर्गों के साथ की गई बैठकों की सूचना प्रदान की गई है। इस पर जनसूचना अधिकार

अधिनियम, 2005 से सम्बद्ध विषयों पर आयोजित किए गए सम्मेलनों / कार्यशालाओं का संक्षिप्त विवरण भी अंकित मिलेगा।

4. आयोग ने इस वेबसाइट को देश के नागरिकों के लिए अधिक सूचनात्मक एवं लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधितों से परामर्श आमंत्रित किए हैं।

आयोग के वार्षिक लेखे

राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर, 2005 से की गई थी। राज्य सरकार ने लेखा-शीर्ष "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं – गैर योजना" के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:--

वर्ष

प्रदत्त फण्ड

2005-2006

30.00 लाख

2006-2007

126.00 लाख

31 अक्तूबर, 2006 तक 62.76 लाख रूपये का खर्च किया गया था।

हालांकि आयोग 1 नवंबर, 2005 को अस्तित्व में आया था, तथापित बजट मार्च, 2006 के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध करवाया गया था। अनुपूरक अनुमानों के तौर पर 30.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया, जिस पर मार्च, 2006 के अंतिम सप्ताह में विधानसभा के द्वारा मतदान करवाया गया था। यद्यपि कार्यालय—सामान, जिसमें फर्नीचर और अन्य ढांचागत सामग्री जैसे:—दूरभाष, फैक्स मशीनें, छाया प्रति—यंत्र इत्यादि शामिल हैं, की खरीद पर पहले से ही कार्रवाई कर ली गई थी। राज्य सरकार द्वारा सेक्टर—8, चण्डीगढ़ में प्रदत्त भवन में कार्यालय—स्थापन की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई थी। यह इस प्रारम्भिक कार्य की वजह से ही सम्भव हुआ है कि आयोग 30.00 लाख रूपये की राशि में से जो कि वर्ष, 2005—06 के लिए स्वीकृत हुई थी, 26.79 लाख रूपये खर्च करने में समर्थ हो पाया। हालांकि अंतिम स्वीकृति मार्च, 2006 के आखिरी सप्ताह में प्राप्त की गई थी, वर्ष 2006—07 के लिए राज्य सरकार द्वारा 140.04 लाख रूपये के मूल बजट को संशोधित करके 126.00 लाख रूपये कर दिया गया। दिनांक 31—10—06 तक 62.76 लाख रूपये खर्च किये गये।

जन प्राधिकारियों के द्वारा सूचना-प्रत्यावेदनों का निपटान

जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा—25 आदेश देती है कि राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसकी एक प्रति सम्बद्ध सरकार को भेजेगा। वह रिपोर्ट सम्बद्ध सरकार के द्वारा राज्य विधान—परिषद् के समक्ष रखी जायेगी। प्रत्येक रिपोर्ट में हरेक जन—प्राधिकरण के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर सूचना समाहित होने की आशा की जाती है:—

(i) प्राप्त आवेदनों की संख्या ।

1 1

- (ii) कारणों सहित अस्वीकृत प्रार्थना—पत्रों की संख्या; यथा एक्ट के प्रावधानों की धारा 8 व9 के अधीन।
- (iii) राज्य सूचना आयोग को पुनर्विचार तथा उनके निष्कर्ष हेतु भेजे गए प्रत्यावैदनों की संख्या व प्रकृति।
- (iv) इस अधिनियम से संबंधित प्रशासन के द्वारा किसी भी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही का विवरण।
- (v) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक जन-प्राधिकरण के द्वारा एकत्रित किए गए प्रभारों की राशि।
- (vi) जन—प्राधिकारियों के द्वारा इस अधिनियम की निहित भावना को कार्य रूप देने में किएगए प्रयासों की तथ्यात्मक रिपोर्ट।
- (vii) इस एक्ट के विकास, परिवर्धन, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए यदि कोई सिफारिश प्राप्त की गई है, या अन्य व्यवस्थापन या सार्वजनिक कानून या कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के क्रियान्वन से संबंधित हो।

मंत्रालयों और विभागों को सहयोग देने के विचार से विभिन्न जन-प्राधिकारियों से उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली वांछित सूचना एकत्रित करने के लिए एक प्रपत्र विकसित किया गया था। इस प्रपत्र की एक प्रति अनुबंध "क" पर उपलब्ध है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, लोक—उपक्रमों के प्रंबंध निदेशकों, आयुक्तों और उपायुक्तों को निर्धारित प्रपन्न में इस अधिनियम की धारा 25 (2) के अनुसार राज्य सूचना—आयोग को सूचना भेजने बारे पन्न लिखे गए थे। प्रारंभिक अनुक्रिया उत्साहजनक नहीं थी, इसे स्मरण—पन्नों के माध्यम से परिपुष्ट किया गया। जन—प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना को वर्णमाला के क्रम से विभागाध्यक्षों, बोर्डों—निगमों—लोक—उपक्रमों, प्रशासकीय सचिवों, आयुक्तों और उपायुक्तों के लिए अलग से सुनियोजित किया गया है। यह अनुबंध "ख" पर उपलब्ध है। प्रशासकीय सचिवों, प्रमुख विभागों और लोक—प्राधिकरणों की एक सूची, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया, अनुबंध "ग" पर रखी है।

लोक-प्राधिकारियों द्वारा मेजी गई रिपोर्टों के अनुसार उनके द्वारा 1.11.2005 से 31.10.2006 तक कुल 4985 प्रार्थना-पत्र प्राप्त किए गए थे। सूचना प्राप्त करने के लिए किए गए 156 अनुरोध एक्ट की धारा-8 और केवल 30 केस धारा-9 के तहत निरस्त कर दिए गए। सूचना प्रदान करने के लिए कुल 6,26,071/- रूपये की राशि फीस/प्रभार के तौर पर एकत्रित की गई। निरस्त किए गए केसों की कुल प्रतिशतता 3.73 % आंकी गई है जिससे सिद्ध होता है कि जन सूचना प्राधिकारी अधिकाधिक मामलों में सूचना प्रदान कर रहे हैं।

इस अधिनियम के संवर्धित क्रियान्वयन के लिए कुछ लोक-प्राधिकारियों, मंत्रालयों और विभागों से निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए हैं :-

(i) बहुत से आवेदक बहुत ही पुरानी और विस्तृत सूचना माँगते हैं जिसे तैयार करने में पर्याप्त समय लगता है। एक्ट के अधीन निर्दिष्ट 30 दिन की समयाविध ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। यह कालाविध बढ़ाकर 45 दिन कर देनी चाहिए। ・監察監察者ができないできるはほどはまず同じは場合の登録がお他は私知が記れるがなからしまでも考えてきるものからからいる。

- (ii) प्रत्येक प्रार्थना—पत्र के माध्यम से मांगी गई सूचना की मात्रा नियत करने की आवश्यकता है, जबिक बहुत से प्रार्थी एक ही प्रार्थना—पत्र के द्वारा बहुत सी और सघन सूचना पाने की चेष्टा करते हैं।
- (iii) जहाँ लोक प्राधिकारियों के यहाँ, प्रार्थना—मत्र बहुत अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं, वहाँ उनके निपटान के लिए पर्याप्त स्टाफ और फण्डों सहित अलग प्रभाग होना चाहिए।
- (iv) इस एक्ट के अधीन राज्य जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के तौर पर नियुक्त अधिकारियों की अतिरिक्त जिम्मेवारियों के दृष्टिगत, बहुत से अधिकारी इस कार्य को लेने के लिए सजग नहीं हैं। तथापि अधिनियम में चूक के लिए सख्त सजा

की व्यवस्था है। इसलिए, पदेन अधिकारियों को उचित मानदेय देने का प्रावधान करके यथायोग्य प्रतिफलित करना चाहिए।

(v) अधिनियम की धारा-20 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को कुछ शक्तियाँ दी जानी चाहिएँ ।

उपर्युक्त क्रमांक (i), (ii) और (v) पर दिए गए सुझावों के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है जो भारत सरकार के द्वारा किया जाना है।

सूचना प्रदान करने की अवधि 30 दिन से 45 दिन करना उचित नहीं लगता! उसी प्रकार सूचना की मात्रा या एक ही प्रार्थना—पत्र पर विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने संबंधी विषय को निश्चित करना उचित नहीं होगा क्योंकि इस तरह के कुछ ही मामले होते हैं। सुझावों के क्रमांक (iii) और (iv) पर कार्यवाही हिरयाणा सरकार या संबंधित लोक—प्राधिकरण के द्वारा की जानी है। पर्याप्त स्टाफ और फंडों की कमी का मुद्दा आयोग के समक्ष सार्वजनिक सुनवाइयों के दौरान जन प्राधिकारियों, जिनमें विशेषतः हिरयाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शिक्षा विभाग इत्यादि हैं, के द्वारा उठाया जाता रहा है। राज्य जन—सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को अधिनियम के तहत अतिरिक्त जिम्मेवारियों निभाने के लिए, मानदेय प्रदान किया जाना भी न्यायोचित है। आयोग ने अलग से अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जन—प्राधिकरण को बजट का कुछ प्रतिशत इस हेतु रखने के लिए सिफारिश की है। उपरोक्त रोनों मुद्दों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

आयोग के द्वारा शिकायतों और अपीलों का निपटान

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान जो कि 1.11.2005 से 31.10.2006 तक है, आयोग में सूचनाधिकार अधिनियम की धारा 18 (2) के अधीन 116 शिकायतें और धारा 19 (3) के अधीन 80 अपीलें प्राप्त की थीं। इनमें से कमीशन ने 31.10.06 तक 98 शिकायतें और 64 अपीलें निपटा दी थीं, तथा संबंधित पार्टियों को शीघ्रता से निर्णय प्रेषित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 393 प्रार्थना—पत्र प्रार्थियों को उचित राय देकर निपटा दिए गए हैं। आयोग के पास दिनांक 1—11—2006 तक 34 मामले कार्यवाही—अधीन शेष थे जिनमें 18 शिकायतें और 16 अपीलें थीं।

आयोग ने शिकायतों / अपीलों में उठाए गए मुद्दों के लिए वादियों और प्रतिवादियों — दोनों को सुनवाई का अवसर दिया। इसके अतिरिक्त, सुनवाई के समय इन मामलों में निर्णय लेने से पूर्व सम्बद्ध रिकार्ड का परीक्षण भी किया गया था। रिपोर्टाधीन अविध के दौरान विलंब से सूचना देने के लिए एक केस में राज्य सूचना अधिकारी पर दण्ड किया गया। यह राज्य सूचना अधिकारी सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद था, जिस पर 3000 / — रूपये जुर्माना किया गया। इस अविध के दौरान किसी भी राज्य सूचनाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई।

सूचना आयोग को शिकायत करने के कारणों में से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार थे :-

(i) सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना देने के लिए आवेदक से प्रार्थना-पत्र/फीस लेने से मना करना। THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

- (ii) सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन वर्णित समय—सीमा में सूचना या सूचना पाने के अनुरोध पर ध्यान न देना।
- (iii) सूचना के अनुरोधों पर अपूर्ण, दिग्ध्रमित करने वाले या बचकाने प्रत्युत्तर देना।

प्रार्थना-पत्र / प्रतिवेदन-फीस न लेने का प्रमुख कारण प्रारम्भिक स्तर पर, सहायक जन सूचनाधिकारियों की अधिनियम के प्रावधानों के बारे में अज्ञानता थी। यद्यपि, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (HIPA) के द्वारा राज्य जन सूचनाधिकारियों, सहायक जन सूचनाधिकारियों के लिए जिला-स्तर पर प्रशिक्षण—कार्यकम आयोजित करने से मामलों में गित आनी शुरू हो गई और प्रार्थना—पत्र लेने से मना करने जैसे मामलों में विशेष रूप से कमी आई। आयोग ने इस संबंध में शिकायतें सुनने और प्रार्थी को आवश्यक सूचना प्रदान करने में उदारता बरती है।

आयोग ने अधिनियम के अधीन शिकायतों और अपीलों पर विचार करते तथा फैसला लेते समय निम्न पक्षों पर जोर दिया है :--

- (i) यद्यपि, एक्ट के अधीन आयोग के द्वारा शिकायतों और अपीलों के निपटान के लिए कोई समय—सीमा नहीं रखी गई, फिर भी आयोग ने कोशिश की है कि मामले दायर करने के 90 दिन की अवधि में निपट जाएं। कुल मिलाकर, आयोग ऐसा करने में सफल रहा है।
- (ii) सभी केस सामान्य सुनवाई के पश्चात् निपटाए गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि मामले के सभी तथ्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता को आयोग के सामने अपना केस रखने का उचित अवसर मिलता है। राज्य सूचना अधिकारी को, सुनवाई के समय उपस्थित होने की वजह से, एक विशिष्ट तिथि तक सूचना प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रतिबद्ध होना पड़ता है।
- (iii) यह पक्का करने का हरेक प्रयास किया गया है कि यथा—संगव सूचना प्रार्थी को सुनवाई पर दे दी जाए। यदि किसी कारण—वश, ऐसा संभव नहीं है तो सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एक विशेष समय—सीमा रखी जाती है। एक पुष्टिपूर्ण अनुपालना—रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और केस को औपरचारिक रूप से तब तक बन्द नहीं किया जाता, जब तक प्रेषित सूचना से प्रार्थी और आयोग सन्तुष्ट न हो जाएँ।
- (iv) सार्वजिनक सुनवाइयों की कार्यवाहियाँ गैर—औपचारिक वातावरण में की जाती हैं तािक प्रार्थी अपने केस को प्रस्तुत करने में स्वतंत्र अनुभव करे। निर्णय, आमतौर पर सुनवाई की समाप्ति पर घोषित कर दिया जाता है और पार्टियों को 3-4 दिन के अन्दर "कोरियर" के माध्यम से आदेश संप्रेषित कर दिए जाते हैं।

नवम्बर, 2005 से अक्तूबर, 2006 तक सूचनाधिकार अधिनियम की कार्यवाही

आयोग ने सेवाधीन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा की गई अधिकाधिक शिकायतें/अपीलें सुनीं जो उनके सेवा/कैरियर संबंधी मामलों/निजी तकलीफों और सेवानिवृत्ति—लामों के संबंध में थीं। अन्य नागरिकों के मामलों में अधिकतर आवेदन संपति—मामलों, टैक्स, सिविल और आपराधिक निजी प्रकृति के विवादों से सम्बद्ध थे। जनसामान्य के हितों, नीति या विकासात्मक मुद्दों से जुड़ी सूचना मांगे जाने वाले प्रार्थना—पत्र थोड़े ही थे। रिपोर्टाधीन अविध के दौरान निर्णीत कुल शिकायतों और अपीलों में से सेवा और निजी मामलों में 46.93 % शिकायतों और 44.44 % अपीलों थीं। इस प्रकार, संपत्ति संबंधी शिकायतों और अपीलों की प्रतिशतता, आयोग में प्राप्त कुल केसों का, क्रमशः 27.55 % और 20.63 % बनती है। सार्वजनिक हित से जुड़ी शिकायतों/अपीलों की प्रतिशतता तुलनात्मक रूप में कम रही जो कि क्रमशः 15.30 % और 14.28 % बनी। प्रमुख रूप से जुड़े विभागों/लोक प्राधिकरणों में शिक्षा, रेवेन्यू शहरी विकास, पुलिस, लोक—निमार्ण, ऊर्जा तथा विकास एवं पंचायत थे। आशा की जाती है कि आने वाले समय में अधिनियम के बारे में अभिवर्धित जानकारी और इसके लाभों के ज्ञान के साथ केवल निजी सूचना माँगने वालों की संख्या के अतिरिक्त सार्वजनिक महत्व के गामलों की सूचना माँगने वालों की संख्या के अतिरिक्त सार्वजनिक महत्व के गामलों की सूचना माँगने वालों की संख्या के अतिरिक्त सार्वजनिक महत्व के गामलों की सूचना माँगने वालों की संख्या की अतिरिक्त सार्वजनिक महत्व के गामलों की सूचना माँगने वालों की संख्या की अतिरिक्त सार्वजनिक महत्व के गामलों की सूचना माँगने वालों की संख्या भी बढ़ेगी।

अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करते समय आयोग के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़े निम्नलिखित मुद्दे और विषय सबसे आगे आए :--

(i) जानकारी का अभाव

सूचना माँगते समय "सूचना अधिकार अधिनियम" के प्रावधानों की जानकारी के विषय में अधिकाधिक प्रार्थियों को पिछड़ते हुए पाया गया। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उनमें से बहुत से बिना संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारी को लिखे ही, आयोग के पास सूचना लेने के लिए पहुँच गए थे। संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारी के द्वारा मान्य मनाही (Deemed refusal) के मामलों में प्रार्थी संबद्ध विभागों/लोक प्राधिकरणों के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास जाने की यजाय सीधे ही आयोग में अपील करने पहुँच गए।

यह भी एक सच्चाई है कि बड़ी संख्या में प्रार्थी अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने की उचित प्रक्रिया से अनिभन्न हैं। वे बिना निर्दिष्ट फीस जमा करवाये अपने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हैं या गैर—निर्दिष्ट साधनों से फीम जमा करवाते हैं। आयोग के द्वारा ऐसे प्रार्थियों को, सूचना माँगने के लिए प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते समय, उचित प्रक्रिया अपनाने की यथायोग्य सलाह दी गई है।

(ii) नियुक्त अधिकारियों की अधिसूचना में प्रारंभिक विलंब

आयोग द्वारा शिकायतों / अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान पता चला कि कुछ जन— प्राधिकारियों ने अपने संगठनों में सहायक राज्य जन सूचनाधिकारी / राज्य जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, अधिसूचित ही नहीं किये थे। आयोग के द्वारा ऐसे जन—प्राधिकारियों को शीघ ये प्राधिकारी नियुक्त करने और उनके नाम जन सामान्य की सुविधा के लिए अपने कार्यालयों के समक्ष नोटिस बोर्डों पर भली प्रकार, प्रदर्षित करने के निर्देश दिए गए।

(iii) प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की उचित क्रियागति की कमी

ऐसा देखा गया था कि विभागों / संगठनों में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ठीक से कार्य नहीं कर रहे थे। वे या तो सहकारण आदेश जारी नहीं करते या अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर ही नहीं दैते, जिसके फलस्वरूप लगभग सभी केसों में अपीलकर्ताओं को द्वितीय अपील के आधार पर राज्य सूचना आयोग में पहुँचना पड़ता है। कई बार, वे संबंधित राज्य सूचना अधिकारी को सामान्य तरीके से बिना अपील भेज देते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि उनके द्वारा अपीलें ध्यान से नहीं सुनी जाती हैं। अपीलों के निपटान का निष्कर्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रचुर अवसर प्रदान करने के अभिप्राय के विरूद्ध होता है। अधिकतर केसों में प्रार्थी शिकायत करते हैं कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा उन्हें खास बात कहने का अवसर नहीं दिया गया। यह आवश्यक है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपनी जिम्मेवारियाँ उचित बुद्धि के प्रयोग से निभायें और कारण देते हुए आदेश जारी करें; अन्यथा, अपीलकर्ता को घर की तरह सुनवाई देने का मूल उद्देश्य विफल हो जायेगा।

(tv) छूट दी जाने वाली श्रेणियों के विषय में अपर्याप्त प्रशिक्षण

11

अधिनियम धारा 8 और 9 के अन्तर्गत विशेष श्रेणियों को सूचना के पटाक्षेप (disclosure) से छूट देता है। उदाहारणार्थ, इन श्रेणियों में राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सूचना, कूटनीतिक,

वैज्ञानिक या राज्य के आर्थिक हितों, अपराधों का पता लगाना या जाँच करना, लोक—आदेश, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध बनाना और मंत्रि—परिषद के पत्र, व्यापार या वाणिज्यिक रहस्य शामिल हैं। उस सूचना को पाने, जिसका प्रकटन, संसद या राज्य—विधान—परिषद के विशेषाधिकार को मंग करे, और व्यक्तिगत सूचना, जो लोक गतिविधि से कोई संबंध न रखती हो और किसी व्यक्ति की गोपनीयता को अकारण भंग करे — की भी मनाही है। यद्यपि, प्रदत्त छूट निरापद (absolute) नहीं है और सूचना का रोकना सार्वजनिक हित में सन्तुलनकारी होना चाहिए। यह भी देखा गया है कि प्रार्थियों के सूचना के अनुरोधों को निरस्त (reject) करते समय जन—प्राधिकारियों के द्वारा एक्ट के प्रभागों के प्रावधानों की ठीक प्रकार से व्याख्या नहीं की जाती है। इस प्रकार, सूचनाधिकार अधिनियम को लागू करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

सूचनाधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी देना - आयोग के उपक्रम

विभिन्न लोकप्राधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्रों और उनके मुद्दों से संबंधित हैं। जन प्राधिकारियों द्वारा सर्वाधिक प्रार्थना-पत्र शहरी विकास विभाग, श्रम एवं रोजगार, आबकारी एवं कराधान, नगर एवं ग्राम आयोजन, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा, परिवहन, उद्योग और विश्वविद्यालयों से प्राप्त किए गए हैं। इनसे पीछे आबकारी, स्वास्थ्य, विकास एवं पंचायत, ऊर्जा उपयोग, सहकारिता, खाद्य एवं आपूर्ति, सिंचाई, पुलिस और जन स्वास्थ्य रहे। यह साफ संकेत करता है कि इस अधिनियम की कारगुजारी में शहरी पलड़ा भारी है। इसके प्रमुख कारण शहरी क्षेत्रों में अधिक जागरूकता, इलेक्ट्रानिक और प्रेस माध्यम तथा साथ ही नागरिक समूहों और कल्याण संगठनों एवं सूचना प्राप्त करने वाले शहरी क्षेत्रों के वासियों को अधिकाधिक सहायता की उपलब्धि हैं। इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के स्तर बहुत ही क्षीण हैं और परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों से सूचना माँगने वालों की संख्या भी तुलनात्मक रूप में कम है। यह दुर्माग्य की बात है कि जिस अधिनियम ने अपनी प्रेरणा राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों से शुरू किए गए एक आन्दोलन के कारण ली, वह ग्रामीण क्षेत्रों के वासियों को मूल प्रावधानों की जानकारी के अभाव के कारण उनके अधिनियम के अधीन अधिकारों के बारे में आकर्षित नहीं कर पा रहा है। हालाँकि, सूचनाधिकार अधिनियम यह जिम्मेवारी स्पष्टतः राज्य सरकार पर डालता है लेकिन राज्य सरकार से यह आशा करना कि वही इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निभायेगी, ठीक नहीं होगा। तथापि, गैर सरकारी इकाइयों नागरिक कल्याण समूहों, एवं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी सूचनाधिकार अधिनियम के तहत जनता को शिक्षित और तैयार करने के लिए प्रयास करने होंगे आयोग ने इस उददेश्य के लिए अलग से कुछ बजट प्रावधान करने की राय दी है। आयोग को भी इस संबंध में एक आवश्यक भूमिका निभानी है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग के द्वारा जिलों के साथ-साथ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में अधिक जानकारी पैदा करने के लिए निम्न कदम उठाये गए हैं :-

1. हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुड़गाँव को मुख्य सचिव, हरियाणा के माध्यम से राज्य जन सूचना अधिकारियों, सहायक राज्य जन सूचना अधिकारियों और जिला मुखियाओं के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अनुरोध किया गया था ताकि

अधिनियम की उन मूलमूत पद्धतियों और प्रक्रियाओं के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके जिनके अनुसरण की अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना—पत्रों का निपटान करते समय उनसे आशा की जाती है। ये कार्यक्रम "हरियााणा लोक प्रशासन संस्थान" के द्वारा मई, 2006 से अक्तूबर, 2006 तक जिला—स्तर पर आयोजित किए गए थे। इनका जिलावार विवरण अनुबंध — "घ", पर उपलब्ध है।

2. इस अविध के दौरान आयोग के सदस्य राज्य जन-सूचना अधिकारियों, सहायक राज्य जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों सिहत जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ अधिनियम के महत्व पर बैठक करने गए और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में व्युत्पन्न संदेहों तथा भ्रांतियों को दूर किया। इन चर्चाओं को अधिक अर्थपूर्ण और ग्राह्य बनाने के लिए, जिलाधिकारियों के अतिरिक्त पंचायतों के तीन श्रेणीय प्रतिनिधियों नगरपालिका निकायों, गैर—सरकारी संगठनों एंच मीडिया के नुमाइंदों को भी चर्चाओं में शामिल किया गया था। ये मुलाकातें मीडिया में काफी रूचि पैदा करने के अतिरिक्त अधिकारियों और जन सामान्य को उत्तम जानकारी देने के लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। इस अविध में विभिन्न जिलों में की गई बैठकों का विवरण अनुबंध "ड" पर दिया गया है।

- उ. इस अविध के दौरान सूचनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों और राज्य में इसके क्रियान्वयन पर सम्मेलन तथा कार्यशालायें आयोजित की गई थीं जिन में समाज के विभिन्न वर्गों ने विचारविमर्श में भाग लिया। यह अत्याधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। इस विषय पर आयोजित सम्मेलनों / कार्यशालाओं का विवरण अनुबंध "च" पर उपलब्ध है।
- 4. आयोग के द्वारा सार्वजिनक सुनवाइयों के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिकारियों और प्रार्थियों को भी अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों के बारे में शिक्षित करते हुए चूकों को भिवष्य में न दुहराने के लिए आगाह किया गया। आवश्यक विचारों को आदेश के हिस्से के तौर पर रिकार्ड करके पदेन अधिकारियों को भेज दिया गया है। अधिनियम के विशेष प्रावधानों का निश्चित समयाविध में अनुपालन करने के बारे में विशिष्ट निर्देश भी दे दिए गए हैं; और आयोग द्वारा मामलों को औपचारिक रूप से बन्द करने से पूर्व अनुपालना रिपोर्ट भी ली गई है। उन मामलों में, जहाँ प्रक्रियात्मक चूक गम्भीर प्रकृति

की हैं, आदेश की एक प्रति लोक—प्राधिकरण के प्रमुख को भी भेज दी गई है और आदेश दिए गए हैं कि वह क्षेत्रीय प्राधिकारियों को इस बारे में औपचारिक कदम उठाने बारे निर्देश दे तथा अनुपालना रिपोर्ट आयोग को भेजे। इससे अन्य लोक प्राधिकारियों के द्वारा भी इन प्रावधानों के क्रियान्वयन का प्रभाव पक्का हुआ है।

केन्द्र और राज्य स्तर पर अधिनियम को लागू करने में आने वाली दिक्कतों में एक विशेष दिक्कत विलंब से सूचना प्रदान करने वाले जनसूचना अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक प्रावधानों के अपर्याप्त प्रयोग की है। यह मानना असत्य होगा कि "आयोग" देरी के मामलों में नर्म रवैया रख रहे हैं और अधिनियम के तहत निर्दिष्ट शास्तियाँ (Penalties) लगाने में अरुचि रखते हैं। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि सूचनाधिकार अधिनियम एक नवीन शासन व्यवस्था है जो लोक-प्राधिकारियों की सामान्य सोच में मूलभूत बदलाव लाने की कोशिश कर रही है और एक रात में जादूई प्रभाव की आशा करना व्यावहारिक नहीं होगा। जन सूचना अधिकारियों तथा लोक-प्राधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों तथा जिम्मेवारियों को भली प्रकार समझ कर प्रार्थना-पत्रों को निपटाना होगा। गहन प्रशिक्षण-कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारियों को भी अधिनियम के बहुत से प्रावधानों का ज्ञान नहीं है जिसके कारण विलंब हो रहा है। आयोग ने राज्य सरकार को इस रिपोर्ट के अंग के रूप में भेजी अपनी सिफारिश में इस पक्ष पर जोर दिया है। इसलिए, शुरू से ही दण्डनीय कार्रवाइयाँ करने और दण्ड लगानि से कोई लाभदायक उददेश्य सिद्ध नहीं होगा। नागरिकों को भी सूचना पाने के लिए प्रार्थना-पत्र देने और इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, लोक प्राधिकारियों और नागरिकों —— दोनों के लिए, आवेदन करने की व्यवस्था को समझना और सूचना पाने में धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। आयोग ने इस समयावधि के दौरान जन सूचना अधिकारियों को दण्डित करने की बजाय नागरिकों को सही, पूर्ण और समय पर सूचना उपलब्ध करवाने पर अधिक जोर दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह चलन भविष्य में जारी रहेगा। विलंब के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं और मामले का प्रस्तुत उत्तर को लेकर विस्तार में परीक्षण किया जाता है। मामले को लोक प्राधिकारियों / राज्य जन सूचना अधिकारियों से लिखित आश्वासन प्राप्त होने के बाद ही कि ये खामियाँ भविष्य में उत्पन्न नहीं होंगी, बंद किया जाता है।

इस एक्ट के तहत एक अन्य रोचक बात यह है कि राज्य सूचना आयोग, जो कि सूचना प्रदान करने के मामले में अंतिम अथॉरिटी है, वादियों / नागरिकों की कष्ट — निवारण अथारिटी भी मानी जाने लगी है। आयोग की कार्यवाहियों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् सूचना मांगने वाला अपने उस कष्ट—निवारण के सम्बन्ध में विशिष्ट आदेश पाने के लिए लालायित रहता है जिसके लिए उसे सबसे पहले सूचना पाने के लिए चलना पड़ा। आयोग ने सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों / शिकायतकर्ताओं को यह समझाने में काफी कष्ट उठाया कि वे प्राप्त सूचना के संबंध में उत्पन्न समस्या का समाधान उसी वैधानिक निकाय से करवायें, जिससे वह संबंधित है, जबिक अधिनियम के अधीन आयोग की यह भूमिका नहीं है। अधिकतर केसों में नागरिक इसे समझने में कठिनाई महसूस करते हैं और कार्यवाहियों के अन्तिम निर्णय से असन्तुष्ट रहते हैं, जबिक उनके द्वारा माँगी गई आवश्यक सूचना भी उन्हें दे दी जाती है। यद्यपि, यह देखा गया है कि आयोग के हस्तक्षेप ने सूचना मिजवाने को पक्का करने के लिए लोक—प्राधिकारियों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है जबिक नागरिकों की परेशानी के विषय में वे अन्तिम निर्णय लेते हैं। बहुत से मामलों में नागरिकों को आयोग की कार्रवाइयों के पूर्ण होने से पहले ही वांछित राहत दे दी गई।

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की सिफारिश

भाग - 1

राज्य सरकार से सम्बद्ध सिफारिशें

lí

8.1 एक्ट के बारे में जागृति की उत्पत्ति – राज्य सरकार का कर्त्तव्य

अब तक का यह अनुभव रहा है कि शहरी क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारी, लोक—कर्मचारी और शहरी लोग ही अधिनियम के तहत प्रमुख लाभार्थी रहे हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के बारे में सीमित जानकारी है। सूचनाधिकार अधिनियम की धारा—26 के अनुसार जागृति उत्पन्न करने का कर्त्तव्य राज्य सरकार का दर्शाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के वासियों में आवश्यक जन—जागृति उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट बजट—व्यवस्था करके सरकार के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम बनाया और आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि समाज के सभी वर्ग अधिनियम के प्रावधान का लाभ ले सकें और सरकार अधिनियम की धारा—26 के अन्तर्गत अपना कर्त्तव्य निर्वहण कर सके।

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष बजट से निम्न तथ्यों पर ध्यान देते हुए यह कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए :--

- (i) जनता में जागृति लाने के लिए शैक्षिक और प्रशिक्षण—कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिएँ तथा जन सामान्य विशेषकर हानि—युक्त जातियों के ज्ञान में एक्ट के संबंध में जानकारी बढ़ानी चाहिए ताकि इस अधिनियम के अधीन दिए अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उन्हें समर्थ बनाया जा सके।
- (ii) उपर्युक्त क्रमांक (i) में अंकित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, आयोजित करने और स्वयं की भागीदारी के लिए लोक-प्राधिकारियों को निर्देश दिए जाएँ।
- (iii) लोक-प्राधिकारियों द्वारा उनकी अपनी गतिविधियों की सही जानकारी समयबद्ध और प्रभावी तरीके से देने में वृद्धि हो।
- (iv) प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों सहित राज्य जन सूचना अधिकारियों और सहायक राज्य जन सूचना अधिकारियों के लिए सघन प्रशिक्षण आयोजित करना।

(v) लोक प्राधिकारियों के प्रयोग के लिए, विशेषतः अधिनियम की धारा 8 व 9 के सम्बंध में, उचित प्रशिक्षण--सामग्री का निर्माण।

8.2 एक प्रयोगकर्ता संदर्शिका का प्रकाशन

सरकार का कर्त्तव्य है कि नागरिकों की सहायता के लिए अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट किसी भी अधिकार के प्रयोग हेतु, अपनी राजभाषा में एक संदर्शिका का निर्माण करे। इसकी पुरजोर सिफारिश की जाती है कि एक आसानी से समझ आने वाली सरल संदर्शिका तैयार करवाई जाए और सभी लोक— प्राधिकारियों के यहाँ प्रार्थियों को उपलब्ध करवाई जाए।

8.3 प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों / राज्य जन सूचना अधिकारियों / सहायक राज्य जनसूचना अधिकारियों की "डायरेक्टरी"

आयोग सरकार को हरेक लोक—प्राधिकरण के राज्य जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की एक पूर्ण सूची प्रकाशित करने के लिए लिख रहा है परन्तु यह कार्य अभी किया जाना शेष है। यह सिफारिश की जाती है कि राज्य जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की डायरेक्टरी के मुद्रण की प्रक्रिया में शीघता लाई जाए। यह उचित मूल्याधारित दस्तावेज होना चाहिए जो अनुरोध करने पर उपलब्ध करवाया जा सके। उसी प्रकार से, जिलाधीशों को जिला स्तर पर यह सूची प्रकाशित करने के लिए कहा जाना चाहिए।

8.4 लोक प्राधिकारियों से अधिनियम की घारा — 4 के प्रावधानों की अनुपालना के बारे में निर्देश करना

लोक—प्राधिकारियों के द्वारा इस धारा के प्रावधानों की अनुपालना बहुत क्षीण रही हैं। आयोग ने इस मामले में राज्य सरकार को कई बार लिखा है परन्तु वास्तव में कोई गति दिखाई नहीं दी है। इस प्रावधान का महत्व, जिसके अनुसार प्रत्येक लोक—प्राधिकारी के द्वारा अधिकाधिक सूचना जनता के समक्ष रखी जानी है, पर कभी जोर नहीं दिया गया। प्रत्येक प्रशासनिक विभाग को इसके नियंत्रणाधीन लोक—प्राधिकारियों से इस धारा की अनुपालना करवाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना होगा और यह कार्यवाही 31 दिसम्बर, 2007 तक पूरी करेंगे। वित्त विभाग यह आश्वस्त करेगा कि प्रत्येक लोक—प्राधिकारी के लिए इस उद्देश्यार्थ बजट की न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित की गई है ताकि अभिलेखों

को कम्प्यूटराइज करवाने की प्रक्रिया अविलंब शुरू की जा सके। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए अभिलेखों के आधुनिकीकरण / कम्प्यूटराइजेशन हेतु भारत सरकार की कुछ उपलब्ध स्कीमों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

- 8.5 प्रार्थना—पत्रों के आसान प्रस्तुतीकरण और फीस की अदायगी के लिए नियमों में संशोधन
- (क) कोर्ट-फीस की स्टैम्पों के माध्यम से अदायगी

अक्तूबर, 2005 में राज्य सरकार द्वारा सूचनाधिकार अधिनियम—नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषणानुसार शुल्क की अदायगी नकद या ट्रेजरी—चालान के माध्यम से की जा सकती थी। शुरूआत में नकदी स्वीकार करने में कुछ मुश्किलें आ रही थीं क्योंकि बहुत से लोक प्राधिकारियों के पास नकदी प्राप्त करने की ऐसी व्यवस्था नहीं थी और न ही लोगों को उचित "प्राप्ति—शींष" के बारे में सलाह दे सके जिसमें कि फीस जमा की जा सकती थी। आयोग के द्वारा इस उद्देश्य के लिए, पूरे राज्य के लिए एक साँझे "प्राप्ति—शींष" की सलाह दी गई जो सरकार को पसंद नहीं आयी। यद्यपि, आखिरकार आयोग का "डिमाण्ड ड्राफ्ट" और "भारतीय पोस्टल आर्डरों" के माध्यम से अदायगियाँ स्वीकार करने का मशिवरा सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और 25.7.2006 को इस बारे में एक अधिसूचना जारी कर दी गई। कोर्ट—फीस स्टैम्प लगा कर फीस—अदायगी भी अधिनियम के तहत फीस जमा करने के माध्यम के तौर पर विचारी जा सकगी। इस सबंध में राज्य सरकार के द्वारा नियमों में उचित संशोधन करने पर विचार किया जा सकता हैं।

(ख) "ई-दिशा" जिला-मुख्यालय विज्ञापित करना

1

सूचना प्राप्त करने वाले नागरिकों को राहत पहुँचाने के विचार से, आयोग सिफारिश करता है कि जिलों में संचालित "ई—दिशा" केन्द्रों का प्रयोग सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन स्वीकार करने के लिए किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए अलग से एक काऊण्टर रखा जाना चाहिए और एक सहायक जन सूचना अधिकारी की ड्यूटी प्रार्थना—पत्र स्वीकार करने के लिए लगाई जानी चाहिए। उन प्रार्थना—पत्रों को तीन दिन के अन्दर लोक—प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाए। यह तरीका जन—सामान्य को सुविधा देने के अतिरिक्त शिकायतों को अस्वीकार करने और कुछ लोक—प्राधिकारियों के संबंध में उदासीनता बरतने की शिकायत भी दूर कर देगा।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए डाक—धरों को सहायक जन सूचना अधिकारियों के तौर पर पदासीन करना।

केन्द्रीय सरकार ने कुछ डाकघरों को बतौर सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया है जो एक्ट के अधीन आने वाले केन्द्रीय लोक—प्राधिकारियों के संबंध में सूचना के अधिकार के बारे में प्रार्थना—पत्र प्राप्त करते हैं। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर स्थित हैं और फीस की अदायगी भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से एक स्वीकार्य विधि है, यह सुझाव दिया जाता है कि जिला और उपमण्डल स्तर पर कुछ डाकघरों को बतौर सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए जो राज्य के लोक—प्राधिकारियों के संबंध में सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना—पत्र प्राप्त कर सकें। डाकघर इन प्रार्थना—पत्रों को फीस सहित अग्रेषित कर सकते हैं और प्रार्थी से अलग से डाक—फीस चार्ज कर सकते हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि यह मामला हरियाणा के पोस्ट मास्टर जनरल के साथ एक उचित स्तर पर विचारा जा सकता है और तत्पश्चात् नियमों में आवश्यक प्रावधान किए जा सकते हैं।

(घ) प्रार्थना-पत्र देने के तरीके के तौर पर ई-मेल की अनुमति देना

अधिनियम ई—मेल के माध्यम से सूचना मांगने की अनुमति देता है परन्तु ऐसे केसों में फीस जमा करवाने का कोई तरीका निर्दिष्ट नहीं किया गया है। नियमों में एक प्रावधान किया जाना चाहिए कि संबंधित जन—सूचना अधिकारी प्रार्थना—पत्र पर कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए एक पखवाड़े में निर्दिष्ट माध्यमों में से किसी एक के द्वारा प्रार्थी को वांछित फीस भेजने के लिए लिखे।

8.6 लोक-प्राधिकारियों के लिए पर्याप्त बजट प्रदान करना

आयोग के समक्ष सुनवाइयों के समय एवं जिलों में आयोजित अनुक्रिया—सत्रों के दौरान जन सूचना अधिकारियों के द्वारा एक आम तकलीफ प्रायः उठाई जाती रही है। यह बताया गया है कि जब फीस और दस्तावेजों के चार्जिज सरकारी विभाग/लोक—प्राधिकारियों के "प्राप्ति—शीर्ष" के अन्तर्गत जमा करवाये जाते हैं, दस्तावेजों के फोटोकापी करवाने के लिए प्रमार आकस्मिक बजट से पूरा करना पड़ता है जो कि विभागों पर भारी दवाब डालता है। कुछ मामलों में, जहाँ मारी संख्या में दस्तावेज फोटोस्टैट करवाने पड़ते हैं, विशेषकर बाहर से, क्योंकि सभी लोक—प्राधिकारियों के पास फोटोकॉपियर नहीं होते तो खर्चे बड़े हो जाते हैं और वे "आकस्मिक खर्च" शीर्ष के तहत प्रदत्त अपर्याप्त बजट से पूरे नहीं हो सकते। यह एक जायज समस्या है जिसका समाधान सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। इस समस्या के निवारण का एक तरीका एक प्रावधान करके किया जा सकता है, जिसके तहत एक

प्राधिकारी के द्वारा एकत्रित फीस / प्रभारों की न्यायसंगत प्रतिशतता, सूचना प्रदान करने की लागत की भरपाई करने के लिए, उसके स्तर पर रख दी जाए, या आकस्मिक शीर्ष के तहत प्रावधान करके RTI एक्ट के तहत प्रार्थना—पत्रों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए संबंधित लोक—प्राधिकारी के द्वारा उचित प्रकार से बढ़ा दिया जाया करे। इस उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया बजट जन सूचना प्राधिकारियों के द्वारा फोटोकॉपियर मशीनें खरीदने के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा।

- 8.7 प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों और राज्य जन सूचनाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण—कार्यक्रम राज्य जन सूचनाधिकारी वह धुरी हैं जिसके इर्द-गिर्द पूरा अधिनियम घूमता है। इसलिए, जब तक राज्य जन सूचना अधिकारी को एक्ट के बारे में उचित प्रकार से प्रशिक्षण और सशक्त नहीं किया जाता, तब तक अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता। सार्वजनिक सुनवाइयों के दौरान आयोग ने पाया है कि इन अधिकारियों को एक्ट के प्रारंभिक प्रावधानों और प्रविधियों का भी ज्ञान नहीं है जिनका अनुपालन सूचना मांगे जाने वाले प्रार्थना—पत्रों के बारे में किया जाना चाहिए। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान ने जिला स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था परन्तु यह पर्याप्त नहीं रहा। सरकारी विभागों के कुछ बड़े लोक—प्राधिकरणों जो जन सामान्य से अधिकाधिक अन्तःक्रिया रखते हैं, जैसे कि हुड्डा, नगरपालिकार्य, सिंचाई, ऊर्जा—उपयोग और शिक्षा—को अपने अधिकारियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आयोग ऐसे कदम की पुरजोर सिफारिश करता है ताकि यह अधिनियम राज्य में तत्परता से लागू हो सके।
- 8.8 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/राज्य जन सूचना अधिकारी/सहायक राज्य जनसूचना अधिकारी को सहयोग देना
- (क) पर्याप्त अतिरिक्त स्टाफ का प्रावधान

1

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना—पत्रों के निपटान के लिये स्टाफ की कमी आयोग के समक्ष सुनवाइयों के दौरान लोक—प्राधिकारियों के द्वारा उठाई जाती रही है जिनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, शिक्षा विभाग इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। यह अधिकतर केसों में सूचना प्रदान करने में होने वाले विलंब के एक कारण के रूप में अंकित किया गया है। आयोग ने महसूस किया है कि यह एक जायज परेशानी है जिसका समाधान लोक—प्राधिकारियों के द्वारा किया जाना चाहिये। रिकार्ड के कम्प्यूटरीकृत करने की प्रक्रिया के लिये भी कुछ सहयोगी स्टाफ की आवश्यकता, अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना—पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए पड़ेगी, जिसमें समय के साथ बढ़ौतरी करना

अनिवार्य है। आयोग ने पहले ही वित्त विभाग को प्रत्येक लोक—प्राधिकारी के बजट का न्यूनतम प्रतिशत अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिये रखने की सिफारिश की है। यह भी सिफारिश की है कि बजट का कुछ हिस्सा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों और राज्य जन सूचना अधिकारियों को अधिनियम के उपयुक्त क्रियान्वयन के लिये अतिरिक्त स्टाफ प्रदान करने हेतु प्रयोग कर लिया जाये। स्वीकृत किए जाने वाले स्टाफ के बारे में निणर्य, अधिनियम के तहत कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, लोक—प्राधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

(ख) मानदेय का प्रावधान

अधिनियम के अन्तर्गत रखी गई जिम्मेवारियों और निश्चित समयाविध में अनुपालना न करने के लिए सख्त शास्तियों के मध्यनजर, इन अधिकारियों को अपने सामान्य काम—काज के अतिरिक्त अधिक कार्य करना पड़ता है। अधिकारी प्रायः इन कार्यों के निर्वहण में रूचि नहीं रखते और यह सच्चाई समय—समय पर सुनवाइयों एवं वैचारिक आदान—प्रदान—सत्रों के दौरान आयोग के नोटिस में लाई गई है। इसलिए आयोग प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, राज्य जन सूचना अधिकारियों और सहायक राज्य जनसूचना अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अतिरिक्त जिम्मेवारियों निभाने के लिए उचित मानदेय प्रदान करने की सिफारिश करता है।

भाग - दो

लोक-प्राधिकारियों के लिए सिफारिशें

सूचना के अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित कुछ क्षेत्र हैं जिनकी ओर लोक-प्राधिकारियों द्वारा तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है :--

8.9 लोक-प्राधिकारियों के द्वारा सार्वभौमिक यथावत सूचना का पटाक्षेप

अधिनियम की धारा—4(1) (बी) निर्दिष्ट करती है कि समी लोक—प्राधिकारियों को अधिनियम के लागू होने के 120 दिन की समयाविध में अपने संगठन से संबंधित मामलों का यथावत खुलासा करना चाहिए। इसमें विभिन्न 18 शीषों के तहत संगठनों (विभागों) के बारे में सूचना सम्मिलित है जिसे प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता है और समयाविध अनुसार यथातिथि किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 4 (2) निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक लोक—प्राधिकारी यथासंभव अधिकाधिक सूचना जनता को यथावत, प्रदान करने के लिए इन्टरनेट सहित संचार के विभिन्न साधनों के द्वारा कदम उठायेगा ताकि जनता

को सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम का कम से कम प्रयोग करना पड़े। इस धारा का ध्यानपूर्वक पढ़ना स्पष्ट करता है कि यह अधिनियम के सर्वाधिक आवश्यक और मौलिक प्रावधानों में से एक है और इस अधिनियम के केन्द्र बिन्दु को इंगित करता है। इस धारा का सही और विश्वसनीय क्रियान्वयन कुछ समय बाद सिद्ध करेगा कि अधिकाधिक सूचना लोक—क्षेत्र में निहित है और वहाँ नागरिकों को सूचना पाने के लिए अधिनियम का सहारा कम से कम लेना पड़ेगा। हरेक लोक—प्राधिकरण ने 12—10—2005 से यह सूचना उपलब्ध करवानी थी परन्तु अभी तक बहुत कम लोक—प्राधिकारियों ने यह कोशिश की है। एक बार व्यवस्था हो जाए, यह एक्ट के क्रियान्वयन को लोक—प्राधिकारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा आसान बना देगा। उन्हें तरीके निकालने और उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग, अधिनियम के तहत अधिकाधिक खुलासा पक्का करने के लिए, करना है। इसलिए, आयोग निम्नलिखित संस्तुतियाँ करता है:—

अधिनियम की धारा—4 के संतोषजनक अनुपालन के लिए सभी लोक—प्राधिकारियों को उसी तरीके के पुनर्निरीक्षण की जरूरत है जिसे अपनाकर संगठन (विभाग) में निर्णय—प्रक्रिया चलती है। इसके साथ ही उनके पर्यवेक्षण के माध्यम और अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (iii) के अन्तगर्त अधिकाधिक सूचना के प्रकटन की पुष्टि में जवाबदेही के ढंग को जाँचने की भी आवश्यकता है। इस धारा की अनुपालना की पुष्टि करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए चूंकि इसमें पहले ही देरी हो चुकी है।

8.10 लोक-प्राधिकरणों में अभिलेखों का प्रभावी प्रबंधन

| |

यह देखा गया है कि अधिकतर लोक-प्राधिकारियों के कार्यालयों में रिकार्ड के रख-रखाव का स्तर बहुत ही खस्ता हाल है। बहुत से सूचना माँगने के मामलों में यह बहाना बना कर सूचना देने से मना कर दिया जाता है कि रिकार्ड अनुपलब्ध है या खो गया हैं। राज्य-स्तर पर रिकार्ड के रख-रखाव के तौर-तरीकों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है तािक यह अधिनियम की धारा-4 (1) (क) के प्रावधान के अनुरूप हो सके। प्रत्येक लोक-प्राधिकरण को अपने बजट का कुछ प्रतिशत धारा-4 के प्रावधानों के क्रियान्वयन, विशेषकर रिकार्डों के कम्प्यूटराइजेशन के लिए रखना चाहिए। उप-धारा-4 (1) (ग) और (ध) की रचना शासन में सार्वजनिक भागीदारी के लिए की गई है और, इसलिए लोक-प्राधिकारियों को पुष्टि करनी चाहिए कि ये प्रावधान प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता और खुलापन लाने के लिए क्रियान्वित हो गए हैं।

8.11 मंत्रालयों और विभागों के तहत लोक-प्राधिकरणों की सूची तैयार करना

हरियाणा सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त-पूरित और नियंत्रित कुछ प्राधिकरण तथा संगठन दावा कर रहें है कि वे अधिनियम के अधीन नहीं आते। समय-समय पर इस मामले में आयोग से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं। इसलिए यह सिफारिश की जाती हैं कि सभी मंत्रालयों और विमागों द्वारा उनके अधीन सभी लोक-प्राधिकारी अधिनियम की धारा-2 (एच) के तहत औपचारिक रूप से साफ-साफ अधिसूचित कर दिए जाने चाहिएँ।

CAR COLLEGE CONTROL CONTROL CONTROL COLLEGE CO

THE THE PROPERTY OF THE PROPER

8.12 प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों और लोक सूचना अधिकारियों को सूचीबद्ध करना

राज्य में विभिन्न लोक—प्राधिकारियों के द्वारा अधिसूचित विभिन्न राज्य सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के पदों और पतों को लेकर आयोग को बहुत सी व्याप्तियाँ मेजी जाती हैं। यद्यपि उनमें से बहुतों ने अपने अधिकारियों के बारे में नवीनतम सूचना अधिसूचित की है परन्तु यह सूचना वेबसाइट पर अपडेट नहीं होती। पूरी सूचना आयोग को भी उपलब्ध नहीं करवाई जाती जबकि, इस संदर्भ में बार—बार अनुरोध किया गया है। अतः प्रत्येक लोक—प्राधिकरण के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों की एक सूची वेबसाइट पर रखी जाए या विज्ञापित की जाए। यह सूची अवसर अनुसार अपडेट की जानी चाहिए।

8.13 वरिष्ठ दर्जे के अधिकारियों को राज्य जन सूचना अधिकारियों के तौर पर अधिसूचित करना

आयोग ने देखा है कि कुछ लोक—प्राधिकारियों के यहाँ किनष्ठ स्तर के किमीयों को जन—सूचना अधिकारियों के तौर पर नियुक्त किया जाता है। यह उनकी योग्यता को उसी विभाग में उनके वरिष्ठ किमीयों से सूचना लेने में गम्भीरता से प्रभावित करता है। इस कारण वे अधिनियम के तहत निर्धारित समय—सीमा में अपनी जिम्मेवारी निभाने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि उचित वरिष्ठता वाले व्यक्तियों को ही जन—सूचना अधिकारियों के तौर पर लगाया जाए ताकि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

8.14 अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुधारना

राज्य सरकार द्वारा बार-बार दिशा-निर्देश जारी करने के उपरान्त भी बहुत से लोक-प्राधिकारियों ने, राज्य जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के बारें में, उनके कार्यालयों के नोटिस—बोर्डों पर नहीं दर्शाया है। प्रार्थना—पत्र लेने में आना—कानी करने के कारण होने वाली तकलीफ को लेकर अभी भी शिकायतें हैं। आयोग अपने स्तर पर समय—समय पर मध्यस्थता कर रहा है और इस सूचना को दर्शाने के संबंध में निर्देश जारी कर रहा है। यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक लोक—प्राधिकरण को इस विषय में प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए और अपने कर्मियों को प्रार्थना—पत्रों को स्वीकार करने, फीस की अदायगी के माध्यम आदि के बारे में साफ—साफ दिशा—निर्देश जारी करने चाहिएँ । इसके साथ—साथ अपने कार्यालयों के बाहर अन्य सूचना प्रदर्शित करते हुए इसकी क्रियान्वित सुनिश्चित करनी चाहिए ।

8.15 लोक—प्राधिकरणों की वार्षिक रिपोर्टों में सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में अध्याय

राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी लोक—प्राधिकरणों के द्वारा—सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों सहित एक वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, उनकी विभिन्न गतिविधियों का विवरण देते हुए, निकाली जाती है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और प्रकाशन से पूर्व सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर एक विशेष अध्याय इस वार्षिक रिपोर्ट के अनिवार्य अंग के रूप में जुड़ा होना चाहिए।

Í

अनुबन्ध-क

кhћ

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं उनके निपटान का रजिस्टर

इस अधिनियम के विकस्त/ उत्पान / नदीनीकरण/सुधार, संशोधन अथवा अन्य कानून निर्माण व सामान्य नियम या किसी अन्य बहा जो कि सूचना के अधिकार,अधिनियम के अनुरूप हो और उन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी आर कोई संस्तुति	e O	•		•				
इस अधिनियम के प्रबन्ध, महनना व आक्ष्य हेतु तोक प्राधिकरणों द्वारा किए गए प्रयत्नों की वास्तविक रिपोंट ।	ľ							
ह समि		jag:	धारा 7 (३) के अन्तर्गत अभिक्तेसों की पीस, इस्पों में					
प्राप्त शुल्क राशि	9	l e	वारा ६ (१) के ग्रन्तर्गत प्रापेना पत्र की मीस, हमयों में					
विकार उत्त्वंयन कर्मचारी के गई कर्मवाही		旗	दूसरे प्रकार से					
सूचना के अधिकार अधिनियम के उत्तरंघन के कारण किसी कर्मचारी के विरूद्ध की गर्द अनुशासनिक कार्यवाही का खोरा	2	le	अध्योग की संस्तुति पर					
अयोग को गयतो / । संख्या		顒	धारा १९ के अन्तर्गात				"	
राज्य सूचना आयोग को प्रेषित भिक्तपतों / अपीतों की संख्या	*	ŀ÷	धारा १८ के अन्तर्गत					
ब्राधीनयम में निहित व्यवस्थाओं अनुसार (सीक्षेत्व कारणों सीहेत) अस्दीकार प्रार्थना पत्रों की संस्था		pg:	धारा 9 के अन्तर्भत					
अधिनियम व्यवस्थात्र (संक्षित क अस्तीका एत्रों के	3	æ	धारा 8 के अन्तर्गत					
प्रयो की प्रयो की संस्था	. 2							
लोक प्रक्षिकरण का नाम	_							

अनुबन्ध-ध्य सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं उनके निपटान का रजिस्टर

		भारत प्राप्ति न	अधिनेयम में निहित व्यवस्थाओं अनुसार (सिक्षित कारणीं सिहेत) अस्तीकार प्रायना पत्रों की संस्था	िमिह्न मुखार सर्वा स्वा	राज्य सूचना अयोग को प्रेक्ति क्षिकास्तों / अपीलों की संख्या	리 기 의 기 의 기 의 기 의 기 의 기 의 기 의 기 의 기 의 기	सूचना के अधिकार अधिनियम के उत्तांधन के कारण किसी कर्मवारी के विषद्ध की गई अनुशासनिक कर्मविह्स का व्योरा	धिकार उत्त्तंधन कर्मवारी कर्मवृद्धी रा		विक्र	इस अधिनेपम ने जबत्य. माबना व जाशय हेत् लोन जाधिकरणों द्वारा किए गए प्रयत्नों की बस्तविक रिपोंट।	इस अधिनियम के विकास/ उत्यान / नवीनीकरण/सुधार. संशोधन अपवा अन्य कानून निर्माण व सामान्य नियम या किसी अन्य बात जो कि सूचना के अधिकार,अधिनियम के अनुरूप हो और उन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी आगर कोई संस्तुति
		***************************************	***************************************									प्राप्त हुई हो।
again.		en .	r) 6	.	4	æ	S	Þ	ie O	ţv	~	⇔
			अनाति अनाति	धारा ७ के अन्तर्गत	यारा 18 के अन्तर्गत	धारा 19 के अन्तर्गत	आयोग की संस्तुह्न पर	दूसरे प्रकार से	धारा ६ (1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र की फीस, इस्पों में	धारा 7 (३) के अन्तर्गत अभिलेखों की फीस, इस्प्यों में		
१ म्थुपातन एवं डेपारेंग विभाग	डेपरिंग विभाग	æ	0	0	0	0	0	0	006	o		
2 मुरहत्त्व एवं संग्रहास्य	प्रहासम	0	0	0	0	0	c	0	Ο,	٥		
3 कृषि विभाग		82	**	0	0	0	0	0	880	3675	इस अधिनियम को तातू करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया गया है।	_
4 अभितेसागार विभाग	ja m	0	0	0	0	0	0	Ö	0	0		
5 आयुष विभाम, हरियाणा	हरियाणा	7	0	0	•	Ó	0	o	38	440		
6 नागरिक उडडयन	I	c	c	c	c	c	c	c	~	c		

***************************************	2	6		7		80		9			**
		Æ	EF.	Æ	卸	ŀЕ	#	æ	 		
7 क्कबंदी	w	0	0	0	o	•	0	×	•		
🕏 सहकारीता विषाम	8	6	0	0	Θ,	•	0	25	2965		
अ मुख्य विवृत निरीक्षक	0	=	0	0	.	•	0	0	6		
10 विकास विभाग	*	0	a	0	0	o	0	819	1136	लोगों की सुविधा और मार्गदर्शन हेतु	
										द्रा विभाग के तोक सूचना अधिकारी	
										के कमरे के बहर सूचना बोर्ड लगाया	
										मा है। एक स्विस्टर लामा म्या	
										है जिसमें सभी सम्बन्धित सूचनाएँ	
										की कि सूदना कि प्रयंना का बना	
										जुल्क और प्रार्थियों को दी गर्द सूबना	
										व्यंकी बाती हैं।	
11 अर्थ तथा सास्थिकीय संगठन	a D	0	0	0	0	0	0	350	059	स्वना के अधिकार अधिनेषम 2005	
										के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित	
										मिकारियों को यात्रक्क किया ह्या	
										है। मुस्तास्त्र न तेनी तत्त म	
										समीक मीनाकों ने हिया	
										दी गर्दे हैं कि वह अधिनियम के तहत	
										वास्ति आवम्भक सूचनाएं व फार्म	
										नीटिस बोर्ड पर ज्वाएं । इसके	
										असीरिक्त सम्बन्धित अधिकारियों को	
										हिस्स दी महें कि क हरियाणा	
										सरकार की कैब साइट पर मी	
										समय-समय पर सूचित करें।	
12 चुनाव विभाग	6	0	0	0	0	0	0	370	695	And Milliand Control of the Control	

						1. कुछ प्रक्रियों द्वारा ऐसी सूचना मानी जाती है जो कि लोक सूचना अविकारी के पास नहीं होती और एकत्र करनी पड़ती है। इसमें सम्प्रत स्थान द्वारा कृपण ऐसे मामते देसे जाने जाहिए। 2. कुछ प्रक्रियों द्वारा कृपण ऐसे वाती है तथा तोक सूचना अधिकारी उसे सूचना सभी करता है तो प्रार्थी पीस जमा नहीं करता और नाही उत्तर देता है। इस प्रकार के बहुत सारे मामते हैं।
लागू कर दिया समा है 🥫				जिला स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी व ग्रथम अपील प्राधिकारी-सेत्रीय कर्म्यत्यों में सभी फर्म भेव दिये गए। विभाग द्वारा नेनपूल तैयार कर लिया		अरटी.आर्ड. एक्ट 2005 की 1.3 आधिसूचना की प्रदे सभी अधिकारियों मौं को इस निर्देश के साथ भिक्षा की गर्द है अधि इस कारे में जामकक किया जार। तोक सम् सूचना अधिकारियों द्वारा सम्प्य-समय पर सीमिनार/कार्यकारतों में मान होया गया है । आर.टी.आर्ड, सूचना देव साईट पर उहती गर्द है। सूचना वोड तत्तारा गर्द है। सांस.टी. आर्ड, से को सम्बन्धित सभी पत्र क्षेत्रीय कार्यालयों कह को भोचे गए हैं। सम्बन्धित प्राधियों नहें को भोचे गए हैं। सम्बन्धित प्राधियों नहें को को नांसी गर्द सूचना उन्हें प्रदान देता
58	0	2509	13020	٥	2480	7382
909	\$	2750	2300	989	8436	3850
•	0	0	0	0	0	·
0	•	0	٥	o o	o	м
Ö	0	-	_	•		m
0	~	•	6.3	•	0	m
0	0	۵	۵	•	0	a
0	0	•	50	٥	0	•
8	m	3	1	~	35	157
13 प्राथमिक भिष्ठा	14 म्यांवरम	15 रोजगार विभाग	16 अवकारी एंद कराधान	17 मत्स्य पातन विभाग	18 साद्य एव आपूर्ति	19 दम विमाग, हरियान्ता

	2	F		*		,		9		7 8	
	•	!		16) DET	*		K	₩	ł	
										3. सहधक तोरू सूचना अधिकारी	ना अधिकारी
										त्या लोक सूचना अधिकारी को कुछ	नारी को कुछ
										अधिकार दिए चाने वाहिए ताकि	नाहर ताक
										वह उन कर्मवारियों से निषट सके	世 2世
										मो सूबना मांगने पर उन्हें सूबना	उन्हें सूचना
										की पूर्ति नहीं करते। आर.टी.आई	जार टी आई
										एक्ट 2005 से सम्बन्धित सभी पत्र	कासीक
										मेनीय नर्मात्यों को भवे गए है	武司司
										सम्बन्धित प्रार्थिये द्वारा मांगी गर्	त भंगे महे
										स्वना उन्हें प्रदान की जा रही है।	耳角
20 महाप्रमासक एवं सरकारी न्यायी तया	-	¢	0	0	0	oʻ	0	0	0	प्रयम् अपील प्राधिकारी और लोक	
कोषपात पृष्य अध्यतिष्टि										सूचना अधिकारी निपुक्त कर दिए	
_										项!	
21 हरियाणा लोक प्रमासन संस्थान	4	o	0	0	0	0	٥	R	0		
22 संपिषण राज्य निधि सेना प्राधिकरण	0	0	٥	0	0	0	0		0	अधिनियम की मांग अनुसार इसे लगू	
										करने के लिए विषया द्वारा सभी फ़कार	
	-									के प्रमत्न किए गए हैं।	
23 स्वस्था सेवार्	₹	₹	o	0	o	0	0	6580	4400	इस अधिनियम को निष्ठा से लगू	
										करने के तिए विभाग द्वारा	
										सीएव सी/पीएव सी. इंचार्य को लोक	
										सूचना अधिकारी और मिविल सर्वन	
										नो प्रयम अपील प्राधिकारी मनोनीत	
										बिया गय है। इस फता, इस फ्रांती	
										नो निम सर तक प्रनिया गया है	
					,					ताकि लोगों को परेशानी ना हो।	

Charles and the second of the

· AT OF THE STREET LANGE CONTROL OF THE STREET CONTROL OF THE ST

	न्योंक अधिनम्य में नियमित	लोक सूचना अधिकारी के लिए	सस्त जुमनि कः प्रावधान है।	दम निये उसके निए सहायक	लोक सूचना अधिकारी, प्रथम	मील प्राधिकारी और पावती		मानद्वयं की टरकाथा होनी	चाहर्। उन्हें निधारत समय म टीक और वर्ण सधना एकाइ करने
	प्रशासकीय सुधार विभाग हरियाणा के 1. क्योंकि अधिनियम में नियमित	एत्र इसांक 5/4/2002 1 ए.आर	दिनांक 30.9.2005 के प्राप्त होने	के पश्चात विभाग ने श्रीमिति आशा	गुता को लोक सूचना अधिकारी और है		को प्रथम अपील प्राधिकारी नियुक्त		उप निदेशक को श्रीमति आमा गुरता
æ	72								
ស្តី	7270								
6	0								
0	0								
0	2								
0	3944								
0	0								
0	0								
ers.	174								
24 हरियाणा एडज् नंद्रोत सेासाईटी	25 उच्चतर मिक्षा विभाग, हरियाणा								

i

है और इस सार्थ सो करना स क्या में उन्हें अपने सांक्यों का कीएभाजन भी बनना पड़ता नहीं नहते ।

ठीक और पूर्ण सूचनः एकत्र करने में काफी व्यावहारिक कठिनाड्यों

मी तेश निश्ती के भारण तोक सूचना

अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

का सामना करना पड़ता है और

भी इस एक्ट की प्राप्त 20 के उन्तर्गत कुछ अधिकार दिए बाने 2 प्रयम अपील प्राधिकारी को 3 निगा अत्तीआई प्रट 2005 को इसकी असली भावना **副**

में तायु करने और उन सभी करने के लिए करिबद्ध है ताकि सम्भव तह्यों जिनमें मूचना आम लोगों तन पहुंच सने, नो ग्राप्त इसने उद्देश्यों को प्राप्त किया

饱

The second of th

- ac							
		सभी जिलों में सहायक तोक सूचना अधिकारी व लोक सूचना अधिकारी निगुक्त कर दिए गए हैं। उन्हें अधिनियम में निहित प्रावधानों की पालना हेतु सब्स निर्देश दिये गए हैं।		विभाग की वेब साइट (www. itharyana.org.in) मुक्ट की गई है, जिसमें विभाग के बारे में सूचना उपसब्ध है। विभाग के कुछ लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में हिप्पा द्वारा प्रमित्तण दिया गया है।		प्रत्येक जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है तथा मुस्यात्म पर भी अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति को जा रही है।	राज्य में श्रम क्रिकाग ने सभी कार्यातयों द्वारा आर.टी.आई. एक्ट 2005 ने अन्तर्गत वाछित सभी पण उठाए जा रहे हैं। आर.टी.आई. एक्ट को तागू
	js:	170	292	1408	0	84 0	1930
\$	H	200	300	750	0	1750	350
	4	o	0	0	٥	٥	0
u)	1	0	o	0	o	0	0
	B	0	0	0	0	N	o
*	16	-	0	•	0	2	0
	19	0	0	0	O	0	0
8	妝	0	m	•	~		₹-
2		4	7	15.	-	4	~
		26 गृह रसी एवं नागरिक सुरक्षा	27 उद्यान विभाग	28 औद्योगिक प्रशिक्त (व व्यवसायिक शिक्षा	29 संस्थायत वित्त एवं सम्ब नियंत्रण	30 सिंचाई विभाग	31 अम

では、「「「「「「「「「」」」というでは、「「「」」というでは、「」」というでは、「」

करने के बारे में अम आयुक्त, सभी कार्यालयाध्यक्ती, तोक सूचना अधिकारियों सहायक लोक सूचना अधिकारियों को जाएकक करवाया गया है। सभी प्रकार की जक्दी सूचना कोर फार्म जो कि एक्ट और नियमों के अन्तर्गत वाहित है, विभाग के सभी कार्यालयों में सूचना पटल पर दर्शाए त्ये हैं। अम विभाग के सभी सम्बन्धि ति अधिकारियों द्वारा आर.टी आई. नियम 2005 राज्य को केब साईट से अधवा कही और से प्राप्त किए जा चुके हैं और तोगों की सुविधा हेतु उसको भूति तैयार रखी जाती है।

				के क्योंकि सूचना विभिन्न जगहों से मी, प्राज, स्कट्ठी की जाती है, जिससे नार काकी अधिक समय इस्वे होता एट है, इस लिए यह प्रस्तावित किया रहे जाता है कि अधिकत्तम समय 30 ह व दिन से बढ़ा कर 45 दिन कर	
				पुलिस अमते को शिक्षित करने के लिए हित्याला पुलिस अकादमी, मम्ब्रन द्वारा नियमित तौर पर सीमेनार अप्रोक्ति किए जा रहे हैं। इस एक्ट को अकादमी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठयक्तों में प्रारोमितक व सेवा के दौरान दिए जा रहे प्रशिक्षण ने स्थाति किए जा रहे प्रशिक्षण	
100	0	160	136334	38485	0
250	2385	150	8993	36890	=
0	0	0	0	•	0
0	0	0	0	Φ	0
•-	ò	0	0	เก	0
0	0	0	0	01	2
O	0	0	0	0	o
0	0	0	শ্ব	99	٥
ur)	æ	e	58	858	***
32 भू अभिनेख	33 विधि तथा विद्याची	34 स्थानीय तेला परीक्षा	35 पंचायत विभाग	36 मुसिस	37 मृदण तथा लेखन सामग्री विभाग

14	•	N		6	* 3		un.	:	90		<u> </u>	wc.
14 1 0 0 0 0 0 0 400 55 (दिन स्वास्थ्र) विभाग 25 0 0 0 0 0 0 1175 900 (दिन संस्थ्रिक कार्य 9 0 0 0 0 0 0 1175 900 समिन्न स्वास्थ्र 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 समिन्न 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 समिन्न 23 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	This is a second se		je-	tæ.	i s	4	16	軍	16	ख		
(बन स्वाच्य) विभाग 25 0 0 0 0 0 1100 420 (वन स्वाच्य) विभाग 25 0 0 0 0 0 0 1 1175 900 1	कार्गार	**** ****	,	٥	-	0	a	ō	400	55	सूचना का अधिकार अधिनियम मुस्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरी तरह से तागू कर दिया गया है।	
(जन स्वाह्म्य) विभाग 25 0 0 0 0 0 1 1175 900 1 1175 90	यभियोजन	em .	O	o	0	0	Φ	0	100	420		
्यं संस्कृतिक कार्य 9 0 0 0 0 0 0 400 390 390 390 विस्तित्त्रकों के सम्बन्धिक कार्य 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	लोक निर्माण (जन स्वास्थ्य) विभाग	. 52	0	0	0	0	0		1175	006	इस कार्यातम द्वारा अधिनियम की। भावना व आश्रम को तागू करने के तिए हर प्रयत्न किया गया है।	
1 0	लोक सम्पर्क एवं सास्कृतीक कार्य	စ္မာ	0	0	0	0	0	0	400	390		
स विभाग 23 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	युनवांस	22	0	0	-	0	0	0	615	910	х	
सण संस्थान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	उर्जा विकास	4	0	0	o	0	0	0	0	0	तोक सूचना अधिकारी/सहायक तोक सूचना अधिकारी की घोषणा कर दी गई है और सभी प्रकार की	
सम्प्रान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											औपनारिक्ताएं जो कि अधिनियम के प्रताति वाख्नित थी पूरी कर सी गई है।	
स विभाग 23 0 4 0 4 0 0 0 400 1 400	राजस्व प्रशिक्षण संस्थान	0	0	٥	0	C	0	٥	0	O		
गैयोगिकी 1 0 0 0 0 0 0 0 50	ग्रमिण विकस्स विभाग	23	C	***	0	ব্য	0	0	400	200		
	विज्ञान एवं ग्रौद्योगिकी	•••	0	•	0	C	c	6	8	~		
	थान बन्त	=	a	0	0	0	and the second	=	0	0		
24 0 0 0 0 0 0 1000	48 सामांखिक न्याय एव अधिकारिता	73	o	0	0	0	0	0	1000	2930		

अपीत प्राधिकारी के सम्पाध

अधिकारी द्वारा क्या कर्मवाही

की जानी जीरिज है।

अस्तुत नहीं होता है तो अपील

विभाग की वेब साइट

के तहत विगति मभी दस्तावेख,

www.haryanasports.gov.in.

पर डाले जा चने हैं।

2 क्या कोई ग्रोप्रेशनत या कानून की डिग्री ग्रारक वकील अधिकारी कानून की डिग्री प्राप्त अपने मुवक्तित की पैरदी हेतु अमील प्राधिकारी के सम्मृख पेण हो सम्दता है, जबकि अपीत नहीं होता? यदि निवासित भीम 50/- ह प्रार्थना पत्र के साध **班斯斯爾南斯** 2. एक्ट और नियमों की ग्रहि राज्य लोक सूचना अधिकारियों और राज्य

सहायक तोक सूचना अधिकारियों को 3. प्रथम अपित प्राधिकारी, एस.पी. आई ओव/एस ए पी आई जोब नी नियुक्त की अधिमूचना सभी नियमों ने प्रावधानों की सब्ती से 4. अधीनस्य अधिकारियों को एक्ट/ सम्बन्धाः को भेजी जा चुकी है। प्रिष्त की जा चुकी है।

ने गर्ज ने रिस्ट अस्त करवाई जाती और सूचना देने का निर्धारित 30 दिन का समय करता है या जिमायत करता है न्या कार्यवाही की जानी होती मी आईओ, के पास लगानही समाप्त हो जाता है और ऐसी तो ग्रयम अपील प्राधिकारी द्वारा प्रक्षण में प्राणी सम्बन्धित एस के प्रकारनों की पालना की जाए । आर टी,आई, एक्ट से सम्बन्धित सभी सूचना और प्रपन्न, जो कि समय-समय पर जारी किए गए है और न्यूज़ पालना करने हैंग हिरमते दे नी गई 5. सभी सम्बन्धित को हिरायों दे से महें हैं कि विभागीय सभाजों में एक्ट

(1) क्या प्रथम अपीत प्राधिकारी असि सुनो ने शि बाय है।

बाद्टमज दर्शाए जहां है।

		ĸ		H	**			A		
			Œ	÷	Œ.	뮨	ig:	籽	বের	
										रम् जामाना विकास स्थापन
										पास गीस जमा नहीं कर्वाइ गर्
										है, अपील अस्वीकार कर सकता
										one significant section of the secti
										(3) क्या प्रथम अपील प्राधिकारी
										सूचना देने के लिए बाघ्य है ?
										A Particular of a street of the street of th
٠										(४) अर अपाल का सुनवाज्ञ क दिन पार्थी हासिर नहीं होता तो
										क्या ऐसी अवस्या में प्रथम अपील
										प्राधिकारी एक तरफा निर्णय ते
										सकता है ?
50 राज्य चीकसी ध्यूरो	Ş	0	0	0	o	0	0	0	95	
डा स्कून मिला, हरियाणा	206	0	0	0	æ	- 5	0	7970	13486	
52 आपूर्ति एवं निषटान		0	0	0	-	o	a	150	0	पूरी तरह से लागू किया जा
									•	一种迎
53 तक्तीकी मिला	2	0	0	m	67	0	0	3660	2500	
54 नाए एवं ग्राम आयोजना	219	0	*4	0	6	2	Mone	88	51595	
55 परिवहन आयुक्त, हरियाणा	58	***	2	-	0	0	0	2240	066	
56 पर्यटन विभाग	¥	0	0	0	o	a	0	0	0	
57 अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कत्याण विभाग	575	0	6	-	0	6	0	S	0	
58 महिला एवं बाल विकास	46	ĸ	0	0	٥	0	0	2250	4197	

ड प्व कारपारशन कृषि दिपणन बोर्ड कृषि उद्योग निराम सीमित बी. पी. सिंह महिला विश्व विद्यालय, स्वातपार कलां	5 5 B	9 0 0	0 0 0	0 0 0	o o o	.	0 0 0	1160 100 0	3845 210 2980
	٥	0	0	0	o	0	0	0	Ċ
	₹	0	0	0	0	0	0	500	700
(4.3	32	0	0		2	0	0	1600	1240
য	45	-	0	₩	-	0	0	1970	3102
-		0	-	Đ	0	0	0	0	o
_		o	0	o	0	0	0	0	o
• •	~	0	٥	٥	Ф	0	0	100	50
_	0	0	0	ø	0	0	0	o	٥
-	~	gene	0	0		0	o	850	1330
	•	o	0	0	0	8	0	20	O
	•	0	٥	0	0	0	0	20	0
5/1	20	0	0	0		0	0	950	1710
	2	o	o	o	0	0	0	100	a

. /tv/k.ma

	2	6		4		S		.Ω		*	8
		H o	Į.	ŀ e	田	æ	卸	#	æ		
17 दुग्ध विकास सहकारी प्रसंघ सीमित	on .	o	2	0	o	0	0	200	٥	1. सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को एक्ट के प्रत्यवानों और उद्देश्मों के बारे में बागरूक कर दिया गया ।	सूचना के अधिकार के कोसी हेतु अधिकारियों को भेजने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।
										 उन मामतों में जहां कार्यालय धीमी गति से काम कर रहा था गा अन्य विकार रहा हा था उन्हें सूचना देने हेतु आदेश बारी किए गए। 	
18 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	2	0	0	61	-	۵	0	1860	3132		
19 विद्यत विनियमक अयोग	ŧ	0	.	0	0	O	©	98	8	सभी सम्बन्धित दस्तावेजों व एव. ई. अस. सी द्वारा पारित आदेश के बारे में सूचना वेव साईट पर पहले ही उपन्व्य है। फिर भी लोगों द्वारा मांगी गई सूचना आर.टी.आई. एक्ट में निफ्त समग्र के अन्दर देदी गई है।	
20 इनेम्ट्रोनिस्स विकस निगम सीभेत (हरट्रीन)	**	0	0	o	•	0	0	<u>8</u>	0	अधिनियम को ताम करने के तिए सभी स्रत्न किए वा रहे हैं।	
21 उपभेषता सहकारी योक पण्डार मेरिसंघ (कान्हैड)	\$ 2	5	0	-	0	0	0	310	280		
22 क्तिया निगम	8	*	•	-	, **	0	٥	2120	17475	आर.टी.आई. एक्ट की घारा 4(1)(बी)(1) से (17) के अधीन रस्तावेज प्रकाशित करने बारे पहले ही कर्मबाही की जा चुकी है। यह सूचना निगम की देब साईट पर उपलब्ध है।	
23 सहकारी चीनी मिल प्रसंघ	2	0	0	-	0	0	٥	0	445		

を受けるからないのでは、我のであるというないできない。 これでいることがないないできるからないできるないではない。 あっていたい

		 आर टी आई मामलें के प्रबन्धन के किए अलग में अनुभा होना चाहिए क्योंके दूसरे का्यांत्यों की तुलना में यह संगठन काफी बड़ा है। प्रार्थित पर यह सर्त होनी चाहिये कि वह कवल वही विशेष सूचना मांगे वो कि वह अपने अपना आम पंता तह के। मांगी गई सूचना का पीरमाण भी एक्ट में सिष्टिकत होना चाहिये क्योंके प्रार्थी भारी भरकम सूचना मांगते हैं (रंगी लाल गुप्ता की तरह) ऐसा करने से अधिकारियों/कर्मचारियों का अपने तरह) ऐसा करने से अधिकारियों/कर्मचारियों का अपने तुलना से अधिक लगाता है। भी सूचना देने हेतु क्यांहिय/ विभाग अनुसार एस भी आई अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति तीपीका होनी चाहिए क्योंकि वह अपने कार्यांत्यों के प्रति विभाग अनुसार होनी चाहिए क्योंकि वह अपने कार्यांत्यों के प्रति विमम्जार होते। 	
	व्यास्थान दिए गए और मार्ग दर्भन निया गया।	समय तीमा के अन्दर सूचना प्रदान करने के लिए सभी प्रयन्न किए जाते हैं। सम्बन्धित कार्यान्त्यों के अधिकारियों और कर्मवारियों को एक्ट के महत्त्व के बारे में शिक्षित करने के प्रयान किए गए।	
0	440	1921	
150	990	2150	
0	0		
O	o		
M		a	
٥	0	6	
0	0	•	
٥	₩.	un	
~7	₹.	\$	
24 वन विकास नियम	25 मुक्ट जम्मेखर विभवविद्यातय, हिसार	26 हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम सीमित	

Mare	2		3	*		5		9			a ©
		*	jur.	₩	æ	i s	3	H ©	揮	manum.	
27 ह्यकत्या एवं हस्तकता निगम समिति	0	0	•	0	0	0	0	0	٥		
28 हरियाणा स्कूत मिक्षा बोर्ड, मिदानी	5	0	0	0	9	6	0	800	730		
29 सीयाणा तोक सेवा आयोग	22	0	0	0	0	•	•	670	1920		
30 पर्यटन निगम	ო	0	0	0	0	0	0	100	8		
31 हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग	92	39	a	0	0	•	Ö	3315	4660		
32 भण्डामार निगम	ω	0	٥	•	0	•	0	500	\$2.	वेब साइट पर विस्तृत प्रचार और हिमा में प्रक्रिशनः ।	
33 हिंद कुफ निवारण संघ	0	0		0	0	٥	0	o	0		
34 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	551	0	~	9	•	0	0	30800	10061		
35 हरियाणा साहित्य अकादमी	٥	0	0	0	0	0	٥	0	0		
36 इरियमा महिता विकास निगम	0	0	0	ø	0	o	•	0	O		
37 अवस बोर्ड	42	0	4		ri)	0	0	980	2225		
38 गातीय रैडकास समिति	en	0	0	0	0	0	0	10	140		
39 जौडींगिक विकास निगम सीमित	147	0	0	←	•	0	0	7350	12685		
40 आई की. कालेज, पानीपत	-	0	0	-	, -	0	0	0	0		
41 कुस्मेत्र विश्वविद्यालय, कुस्मेत्र	**	~	0	0	0	0	•	986	2091	वृहद प्रवार हेतु आर.टी.आर्ड, नियमों को प्रेष्ठित किया गया।	
42 मुस्सेत्र विकस बोर्ड	*	0	0		0	0	•	300	8	कुरुक्षेत्र विकस्त बोर्ड से सम्बन्धित सूचना को सरकारी देवसाइट पर डाला गया है।	
43 भूमि सूघार एंव विकास निगम	0	O	ca	•	0	0	•	•	a		
44 भूमि उम्मोग मण्डल	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		,																						
	1. क्योंके अधिनियम में नियमित लोक	सूचना अधिकारी के लिए सहत जुमनि	ना प्रावधान है। इस्तिये उसके सिए	व सहायक लोक मूबना अधिकारी,	प्रसम् अपीत प्राधिकारी और पावती	अधिकारी ने तिए कर मुक्त उचित	मानदेव की व्यवस्या होनी वाहिए।	उन्हें निधारित सम्प में ठीक और	मूर्ण सूवना एकत्र करने में काफी	व्यवाहारिक किनाईयों का सापना	करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में	उन्हें अपने साधियों का कोपभारन	भी बनना पड़ता है और इस कार्य को	करना नहीं बाहते। प्रथम अपीत	प्राधिकारी को भी इस एक्ट की धारा	20 के अन्तर्गत कुछ अधिकार दिए	जाने याहिए।		अधिनियम की पावना और आशम	को लागू करने के बारे में लोगों में प्रचार किया गया ।				
0	4317																	0	0		2320	220	310	
0	5170																	0	0		\$	320	350	***************************************
0	o																	0	0		0	0	0	
0	0																	0	0		~	•	0	
0	0																	•	0		0	0	******	
0	-													•				0	0		0	0	0	
0	0														*			0	0		0	***	0	
0	0																	-	0		0	2	-	
0	F 125		*															****	0		8		42	
45 पगुधन विकास मण्डल	46 महर्षि दयानन्द विश्व विद्यातय, रोहतक 125																	47 नर्स पंजीकरण परिषद्	४८ पुलिस अवास निगम		49 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	50 विद्युत उत्पादन निगम	51 पं मावत दयात शर्मा भी भी भी आई ,	एम.एस., रोह्नतक

50 पक्रमी मिलाए प्रस्पती 7 81 6 </th <th></th> <th>2</th> <th>.,</th> <th>~</th> <th>4</th> <th></th> <th>so.</th> <th></th> <th>e e</th> <th></th> <th>£</th> <th>&</th>		2	.,	~	4		so.		e e		£	&
Riff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			₩	T.	16	Þ	4	135	i c	B		
सिरोम्भ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	52 पंजाबी साहित्य एकस्मी	2	. 0	0	0	0	. 0	0	99	0		
대한 한국 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	53 ग्रामीन विकास निधि प्रमासन बोर्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
क्रमीं 0 </td <td>54 अनुसूचित जाति थिता एव विकास निमम</td> <td>•</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>S.</td> <td>•</td> <td></td> <td></td>	54 अनुसूचित जाति थिता एव विकास निमम	•	0	0	0	0	0	0	S.	•		
क्रमी 2 0 <td>55 बीज प्रमाणीकरण संस्था</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>o</td> <td></td> <td></td>	55 बीज प्रमाणीकरण संस्था	0	0	0	0	0	0	0	0	o		
No.	56 बीज विकास निरम सीमित	7	0	0	0	0	Ç	c	28	0		
म्यायोग ाह 0 0 0 0 400 200 1 0 0 0 0 0 160 166 1 0 0 0 0 0 150 140 166 1 0 <td>57 श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड</td> <td>0</td> <td>~</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td>	57 श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड	0	~	0	0	0	0	0	0	0		
1	58 राज्य उपभोक्ता संरक्षण प्रहितोष आयोग	5	0	0	0	0	0	0	004	8		
3	59 राज्य सूचना अध्योग, हरियाणा	2	0	0	0	0	o	0	\$	1 86	•	
प्रमाप्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0	60 राज्य चुनाद आयोग	က	0	0		0	0	0	55	24	3	
निम्म 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0	61 स्वर्ण बयन्ती शहरी रोजगार घोषना एव	.	0	0	0	0	0	0	0	C		
निमास 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0	महरी विकस											
मिन् 51 0 0 0 4 0 0 1490 1032 मान समित 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	62 उर्दे अकादमी	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1584 54 20 27 23 0 <th< td=""><td>63 उत्तर हरियाणा निजनी वितरण निगम</td><td>22</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>*</td><td>0</td><td>0</td><td>9641</td><td>1032</td><td></td><td></td></th<>	63 उत्तर हरियाणा निजनी वितरण निगम	22	0	0	0	*	0	0	9641	1032		
1584 54 20 27 23 0 0 69475 82460 1 0 0 0 0 0 0 50 380 所有 2 0 0 0 0 0 50 380 71 18 0 3 0 0 0 50 13620 7 0 0 0 0 0 0 13620	64 श्रवण एवं वाणी विकलांग कत्याण समिति		0	0	0	0	0	0	0	0	į	
1		284	3	1	77	23	o	0	69475	82460		
1	प्रशासकीय सचिव											x
日本 2 0 0 0 0 0 0 50 380 71 18 0 3 0 0 0 0 13020 13020 7 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 10020 13020	वित्तायुक्त एवं प्रधान समिव			-								
所約 2 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	बुनाय विभाग	-	0	•	0	0	0	0	93	88		
71 18 0 3 0 0 0 0 2300 13020 7 0 0 0 0 0 0 0 100 0		~	0	0	•	0	•	•	20	0	अधिनियम को तागू करने के तिए भरतक प्रयास किर जा रहे हैं।	
0 001 0 0 0 0 0 100 0	उ अलकारी एवं कराधान विभाग	E	\$	0	en.	0	0	0	2300	13020	इस अधिनयम के अधीन सूचना माने	
0 001 0 0 0 0 0 0 2											वाते को सूचना प्रदान करने व अधिक पारदर्भिता लाने के तिए प्रधनन	
7 0 0 0 0 0 0 7	,										阿明時計	
	4 वेत्त विभाग	~	0	o	٥	0	0	٥	100	•		

१ सूबना बोर्ड तमाए गए।	2. लोक सूचना अधिकारी ने क्षिप्प द्वारा अयोजित सेमीनार में भाग रिया।	इस अधिनेयम को निष्ठा से तग्तू करने के तिए विभाग द्वारा सीएम.सी./पीएम.सी. इंग्राची को लोक सूचना अधिकारी और सिवित सर्चन को प्रथम अपीत आधिकारी मनोनीत किया गया है। इस प्रकार इस प्रणास्ती को निस्न स्तर तक पहुंचाया गया है			अर.टी.आई (षट को पूरी तरह मे अपनाया गया ।	आर.टी.आई. एक्ट को पूरी तरह से अपनाया गया ।			कार्यातय द्वारा आर टी.आई अधिनियम और नियमों के अंतर्गत सभी कदम उठाए गए हैं।	
240		3	0	2509	062	290	0	16789	0	e
360		250	<u>ફ</u>	2750	8	450	c	7130	0	0
0		•	0	0	•	0	0	o	0	0
a		•	0	0	0	0	G	o	0	0
0		•	o	•	0	0	0	0	0	0
***		0	0	•	0	0	0	*	· 0	0
0		Φ	0	0	0	0	0	0	0	5
0		0	0	0	0	0	0	1	0	6
φ		4	63	9	= 0	&	0	178	Q	0
5 वन विभाग, हरियाना		6 स्वास्य विभाग	7 मिचाई विभाग	8 अमाएंब रोज्यार विभाग	9 पुनर्वात विभाग	10 राजस्य एवं आपदा प्रबन्धन	११ प्रक्रिकण विभाग	बोड़	आयुक्त एवं सचिव 1 नगर किलास	जोड

	2	100		4		5		9		***	60
		#	種	#	jejs	Æ	ER.	#	 2 -		
मण्डल आयुक्त											
अम्बाला	7	0	0	0	0	0	0	270	0		
2 गुडगांब	0	0	0	0	0	0	a	0	0		
3 क्षिसार	m	2	0	9	0		0	8	0	(म्ट के अधीन प्रमीना पत्रों को तुरंत निपटना जा उटा है।	
4 रोस्तक	ĸn	٥	0	ķ0	0	0	0	8	0.21	1 X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
मोड	\$	~		\$	0	•	0	570	170		
उपाम कि			mheindenheindenheindenheimeinen				and a second control of the second control o				
मियमी	5	0	0	0	0	0	0	056	361		
2 फ्रोहम्बद	æ	0	0	0	0	0	0	950	9	जिले के अधिकारियों का ब्रान बढ़ाने	
										ने तिए इस क्लिमें हिमा द्वारा प्रमेशका	
										प्रदान किया गया। उन्हें मासिक	
										सभाजों में भी निर्रेण दिए जा रहे हैं	
										कि वो आम चनता को एक्ट के बारे	
										में जागक्क करने बारे सभी सम्भद	
									·	निर्मा उठाएँ।	
3 गुड्गांव	64	0	0	0	*-	0	0	1000	8	मुनना प्रतान करने के लिए 30 दिन	
										ना सम्य क्य है, स्योंके ग्रयः बो	
										स्त्रा मंगे जती है जो क्षेत्री अले	
										में इकट्ठा किया जाता है, जिसमें	
										देरी तमती है। इस तिए यह समय	
										कम से कम 45 दिन होना चाहिये।	
										लोग प्राष्, ऐसी सूबना मांगते हैं जो	
										कि कार्यातय से सम्बन्धित नहीं होती,	
										जिससे तोक सूचना अधिकारी को	
			*							परेशानी होती है ।	

如果,是这个是是不好,是是不好的时候,在我们都就是是我们的,我就是不会的一种,我们也是我们的,我们就是我们的我们的,我们们也是不是我们的,你们们们们们们的,我们

The state of the s

					अमले की जागरूक बनाया गया है	कि वह सूचना प्राप्त करने अए ध्यक्तियों की एक्ट की उपयोगिता और सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताएं। एक्ट को फूर्मतः सागू करने के बारे में समय-समय पर तोक सूचना अधिकारियों की सभाएं की जा रही है। मांगी गई सूचना देने के बारे में माहिक सभाओं में बी अधिकारियों को निर्देश रिए जा रहे हैं और उन्हें		
5210	210	R	0	•	7360	88	15246	416724
1750	450	650	750	860	2838	\$ 04	10590	209347
0	0	0	0	0	0	a	0	9
C	0	o	0	0	0		0	10
0	0	0	•	0	0	0	-	61
0	0	0	0	0	0	ф	0	63
0	0	0	•	G	0	0	o	39
0	0	0	0	0	0	۵	•	156
32	36	13	47 7	⊕	77	12	244	कुत जोड 4885 156
• Perr	5 <u>ब</u> ीद	6 教师	7 和 本	8 सिवाडी	9 रोहतक	10 सेनीमत	₩	कत्त बोह

अनुबन्ध - ग

मुख्य लोक प्राधिकरणों की सूचि जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विभागाध्यक्ष

- 1 महाधिवक्ता हरियाणा
- 2 जनगणना कार्य
- 3 कर्मचारी राज्य बीमा
- 4 शिकायत निवारण
- 5 सत्कार संगठन
- 6 उद्योग एंव वाणिज्य
- 7 लाटरीज
- 8 खान एंव भू विज्ञान
- ९ एन.आई.सी. कम्पयूटर केन्द्र
- 10 पंचायती राज
- 11 प्रजनन एंव शिशु स्वास्थ्य
- 12 लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)
- 13 राज्य परिवहन नियन्त्रक
- 14 स्टेट टी.बी. एसोसीयेशन, हरियाणा
- 15 स्टेट टी.बी. कन्ट्रोल एंव स्टेट लेपरोसी सोसाइटी
- 16 खजाना तथा लेखा
- 17 नगर विकास
- 18 शहरी सम्पदा

बोर्ड एंव कारपोरेशनज

- भारतीय ग्रामीण महिला संध
- 2 ब्लाईन्डनेस कन्ट्रोल सोसायटी
- 3 हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो

- 4 जांच आयोग
- 5 कमेटी फार फ्री स्ट्रक्वरिंग आफ मेडीकल एण्ड टेक्नीकल ऐजूकेशन
- 6 बाल कल्याण परिषद
- 7 सहकारी, कृषि एंव ग्रामिण विकास बैंक सीमित
- प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्
- 9 गुरुद्वारा चुनाव आयोग
- 10 औद्योगिक सहकारी प्रसंघ
- 11 खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड
- 12 मेवात विकास अभिकरण
- 13 लघु सिंचाई एंव नलकूप निगम सीमित
- 14 फार्मेसी कांउसिल
- 15 राज्य सैनिक बोर्ड
- 16 उर्जा विकास अभिकरण
- 17 सड़क व सेतु विकास निगम सीमित
- 18 साकेत परिषद्
- 19 संस्कृत अकादमी
- 20 राज्य द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- 21 शिवालिक विकास बोर्ड
- 22 सल्म कलीरैंस बोर्ड
- 23 लघु उद्योग एंव निर्यात निगम सीमित
- 24 समाज कल्याण बोर्ड
- 25 स्टेट काउंसलिंग बोर्ड
- 26 स्वतंत्रा सैनिक सम्मान समिति
- 27 तीसरा वित्त आयोग

प्रशासकीय सचिव

वित्तायुक्त एव प्रधान सचिव

- 1 प्रशासकीय सुधार विभाग
- 2 कृषि विभाग
- 3 वास्तुकला विभाग
- 4 चकबंदी विभाग
- 5 समन्वयन विभाग
- 6 विकास एंव पंचायत विभाग
- 7 शिक्षा एंव भाषा विभाग
- 8 मत्स्य पालन विभाग
- 9 खाद्य एंव आपूर्ति विभाग
- 10 सामान्य प्रशासन विभाग
- 11 गुरूद्वारा चुनाव
- 12 हरियाणा भवन, नई दिल्ली
- 13 गृह विमाग
- 14 उद्योग एंव वाणिज्य विमाग
- 15 औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग
- 16 इन्यैस्टमेंट प्रमोशन सेन्टर, नई दिल्ली
- 17 कारागार
- 18 खान एवं भू-विज्ञान विभाग
- 19 कार्मिक विभाग
- 20 योजना विभाग
- 21 उर्जा विभाग
- 22 लोक निमार्ण (मवन तथा सड़कें) विभाग
- 23 उर्जा विकास विभाग

以外的人员的人,他们也不是不是一个人的人,也不是一个人的人,也不是一个人的人,也不是一个人的人,也不是一个人的人,也不是一个人的人,也不是一个人的人,也不是一个人

- 24 विज्ञान एंव प्रौद्यौगिकी
- 25 तकनीकी शिक्षा
- 26 नगर एंव ग्राम आयोजना तथा शहरी सम्पदा विभाग
- 27 परिवहन तथा नागरिक उड्डयन विमाग
- 28 चौकसी विभाग

आयुक्त एंव सचिव

- 1 पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग
- 2 पुरातत्व एंव संग्राहलय विभाग
- 3 अभिलेखगार विभाग
- 4 सरकारी सम्पति का सदुपयोंग / निपटान प्रकोष्ठ
- 5 सहकारिता विभाग
- 6 पर्यावरण विभाग
- 7 वित्त एवं साख नियन्त्रण विभाग
- हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो
- 9 आवासीय विभाग एवं प्रबन्धक निदेशक हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन
- 10 मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग
- 11 लोक सर्म्पक एंव सांस्कृतिक कार्य विभाग
- 12 लोक निर्माण (जन स्वास्थ्य) विभाग
- 13 सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग .
- 14 खेल एंव युवा कार्य विभाग
- 15 नगर विकास विभाग
- 16 अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- 17 महिला एंव बाल विकास विभाग

अनुबन्ध – घ हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान 76, हिप्पा परिसर, सैक्टर 18, गुडगांव

सूचना के अधिकार अधिनियम पर हुए

कपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों / गोष्ठियों का ब्योरा

क्रम व	गेर्स की तिथि	भाग सेने वालीं	स्थल
सं		की संख्या	
1. 中	ई 8−12, 2006	23	हिप्पा, गुडगांव
2. উ	ल 14—16, 2006	18	हिप्पा, गुडगांव
3. 2	2.6.2006	32	डी.टी.सी, पंचकूला
4. জু	ज़ाई 24—27 , 2006	25	हिप्पा, गुडगांव
5. 2°	1.08.2006	37	डी.टी.सी. पंचकूला
6. 04	4,09,2006	55	नारनौल
7. 0	5.09.2006	60	रिवाड़ी
8. 06	5.09.2006	50	फरीदाबाद
9. 07	7.09.2006	47	हिप्पा, गुडगांव
10. 1°	1.09.2006	42	सिरसा
11. 13	3.09.2006	121	हिसार
12. 14	4.09.2006	. 45	डी.टी.सी. पंचकूला
13. 14	4,09,2006	79	फतेहाबाद
14. 18	8.09,2006	96	जींद
15, 19	9.09.2006	80	सोनीपत
16. 19	9.09.2006	. 78	पंचकूला
17. 20	0.09.2006	74	भिवानी
18. 2	5,09.2006	60	. अ जर
19. 27	7.09.2006	56	करनाल
20. 2	8.09.2006	76	पानीपत
21. 29	9.09.2006	85	रोहतक
22. O	4.10.2006	139	अम्बला
23 . 1	1.10.2006	125	यमुनानगर
24. 18	3.10.2006	118	कुरूक्षेत्र
25. 27	7.10.2006	138	ক্ষথল
3	ते इ	1759	

अनुबन्ध – इ क्षेत्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम को प्रमावी बनाने हेतु समीक्षा 1.11.2005 से 31.10.2006 तक की अवधी में जिला स्तर पर ली गई समाएं।

क्रम	दिनांक	जिले का नाम	टिप्पणी
संख्या	•		
1.	17.2.2006	पानीपत ो	ये सभाएं मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में
2.	16.3.2006	सोनीपत	हुई, जहां अधिनियम के कार्य की समीक्षा की गई
3.	20.03.2006	रिवाड़ी	और सभा में भाग लेने वालों के साथ आपसी
4.	24.04.2006	जींद	विचार—विमर्श किया गया।
5.	25.04.2006	झज्जर	•
6.	19.05.2006	हिसार	
7.	19.07.2006	रोहतक	
8.	25.08.2006	करमाल	
9.	15.09.2006	सिरसा	
10.	19.09.2006	ं पंचकूला]	यह कार्यशालाएं राज्य सूचना आयुक्त की
11.	04.10.2006	अम्बाला ∫	अध्यक्षता में हुई, जिन्होंने डिवीजनल प्रशिक्षण
			केन्द्र, पंचकूला में गेस्ट फाकिल्ट के तौर पर
			प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित किया और आपस
			के विचार-विमर्श सन्त्र में भाग लिया।

अनुबन्ध – च

दिनांक 1.11.2005 से 31.10.2006 तक के समय के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में सम्पन्न हुई सभाओं / कार्यशालाओं का ब्योरा।

क्रम	तिथि	स्थल	टिप्पणी
संख्य			
1		3	4
1.	22.06.2006	डिवीजनल प्रशिक्षण केन्द्र,	इस कार्याशाला का आयोजन डिवीजनल प्रशिक्षण
		हरियाणा लोक प्रशासन	केन्द्र द्वारा किया गया, जिसमें राज्य सूचना आयुक्त
		संस्थान	ने प्रशिक्षणार्थियों को गेस्ट फाकल्टि के तौर पर
			सम्बोधित किया और आपस के विचार विमर्श सत्र
			में भाग लिया।
2.	17.07.2006	पंजाब विश्वविद्यालय,	'प्रिया' नामक संगठन ने हरियाणा राज्य के जिला
		चण्डीगढ़।	स्तर के अपने कार्यकर्ताओं के लिए सूचना के
			अधिकार अधिनियम-2005 पर एक कार्यशाला का
	·		आयोजन किया, जिसे मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा
4			सम्बोधित किया गया था ।
3.	20,07,2006	आल इण्डिया रेडियो,	आल इण्डिया रेडियो रोहतक द्वारा एक सीधा दूरभाष
		रोहतक।	कार्यकम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य
			सूचना आयुक्त ने सूचना के अधिकार अधिनियम के
			विभिन्न प्रावधानों के बारे में आम जनता द्वारा दूरभाष
			के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया।
4,	21.08.2006	डिवीजनल प्रशिक्षण केन्द्र,	इस कार्यशाला का आयोजन डिवीजनल प्रशिक्षण
		हरियाणा लोक प्रशासन	केन्द्र द्वारा किया गया, जिसमें राज्य सूचना आयुक्त
		संस्थान	ने प्रशिक्षणार्थियों को गेस्ट फाकल्टि के तौर पर
			सम्बोधित किया और आपस के विचार विमर्श सत्र
			में भाग लिया।
5.	14.09.2006	सम्-	सम
6.	19.09.2006	-सम-	सम

 7. 19.10.2006 चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्व– विद्यालय, हिसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विभिन्न पहलूओं और इसको प्रमावी बनाने के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों और उन अधिकारियों ने भाग लिया जिन्हें राज्य लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी नामजद किया गया था। मुख्य सूचना आयुक्त ने इस कार्यशाला में मुख्य व्याख्यान दिया और भाग लेने वालों के साथ आपसी विचार विमर्श किया।

43076-SIC-H.G.P., Chd.